[2022] 15 एस. सी. आर 847

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

राज कुमार और ओआरएस।

(2011 की सिविल अपील सं. 9746)

20 मई, 2022

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.]

सेवा कानूनः हिमाचल प्रदेश भर्ती और पदोन्नति नियम, 1966-एच. पी. श्रम और रोजगार विभाग, श्रम

अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) मंत्रिस्तरीय सेवा अनुसंधान और विकास नियम, 2006 लोक सेवक की सेवा की शर्तें-नए नियमों की घोषणा से पहले रिक्तियां उत्पन्न हुईं-केवल पुराने नियमों के अनुसार या संशोधित नियमों के अनुसार भरी जानी थीं-1966 के नियमों द्वारा शासित श्रम अधिकारी के पांच पद, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना था।

20.07.2006 , श्रम अधिकारियों के लिए स्वीकृत सात अतिरिक्त पद और कुल पद 5 से बढ़कर 12 हो गए-इसके बाद, 1966 के नियमों में संशोधन किया गया-2006 के नए नियमों के तहत, श्रम अधिकारी के पद पर भर्ती क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के अनुपात में पदोन्नति के साथ-साथ सीधी भर्ती द्वारा की जानी है-कुल 12 पदों में से, पदोन्नति के पद 5 से बढ़कर 9 (75 प्रतिशत होने) और सीधी भर्ती के पद 3 (25 प्रतिशत होने) हो गए-उत्तरदाता संख्या। 1 3-श्रम निरीक्षक ने 25 प्रतिशत पदों को सीधे भरने को चुनौती दी।

इस आधार पर भर्ती कि रिक्तियां नए नियमों की घोषणा से पहले उत्पन्न हुईं और इस प्रकार, सभी रिक्तियों को केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए-न्यायाधिकरण के निर्देश पर, राज्य सरकार। शिकायत पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया-न्यायाधिकरण के समक्ष फिर से चुनौती दी गई-विचाराधीनता के दौरान, राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे के तहत श्रम अधिकारियों के 3 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए-प्रतिवादी नं। 4 पद पर नियुक्त 6 तक-प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई नियुक्तियाँ नं। 1 3-डिवीजन बेंच ने रंगैया की याचिका पर भरोसा करते हुए अनुमति दी।

मामला-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः रंगैया के मामले को उसके अपने तथ्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें घोषणाएं हैं कि सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम इस प्रभाव के लिए नहीं है कि रिक्तियों को आवश्यक रूप से उन नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उस तारीख को मौजूद थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो वे उत्पन्न हुए-रंगैया में यह कथन कि "संशोधित नियमों से पहले जो रिक्तियां थीं, वे पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी न कि संशोधित नियमों द्वारा", संघ और राज्यों के तहत सेवाओं को नियंत्रित करने वाले कानून के सही प्रस्ताव को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इस प्रकार, इसे खारिज कर दिया जाता है-सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के बाहर किसी कर्मचारी के लिए कोई अधिकार नहीं है-राज्य के तहत सेवाएं एक स्थिति की प्रकृति में होती हैं, जिसकी एक पहचान पुरानी नियमों द्वारा शासित होती है न कि संशोधित नियमों द्वारा।

सार्वजनिक हित 2006 के नियमों को पूरा करने के लिए नियमों को एकतरफा रूप से बदलने के लिए कहें, उत्तरदाताओं की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियम उन्हें अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद लागू हो गए-उक्त नियमों में 1966 के नियमों के अनुसार उत्तरदाताओं पर विचार करने में सक्षम होने का कोई प्रावधान नहीं है-इसके अलावा, ऐसा कोई अन्य अधिकार नहीं है जो उत्तरदाताओं को नहीं है। 1 3 तक इस तरह के विचार के लिए दावा कर सकते हैं-संवर्ग के पुनर्गठन के अपने नीतिगत निर्णय के आधार पर सरकार की याचिका

अतिरिक्त पद और नियमों में संशोधन करके सीधी भर्ती का प्रावधान भी स्वीकार किया जाता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है-अनुच्छेद। 309 , 310 , 311 - भारत का संविधान।

भारतीय संविधान कला। 310 आनंद का सिद्धांत-उद्देश्य/उद्देश्य-उल्लिखित।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 रंगैया के मामले को अलग करने वाले पंद्रह मामलों की समीक्षा से पता चलता है कि यह न्यायालय लगातार व्यापक मामलों के लिए अपवादों को तैयार कर रहा है।

रंगैया में तैयार किया गया प्रस्ताव। इन निर्णयों के निष्कर्ष, जिनका रंगैया द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर सीधा असर पड़ता है, वे हैं कि सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उस कानून के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उस तारीख को मौजूद था जब वे उत्पन्न हुए थे।

मामले को शामिल नियमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

इसमें; कि यह अब कानून का एक तय प्रस्ताव है कि एक उम्मीदवार को मौजूद नियमों के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि विचार होने की तारीख को "लागू नियम"; कि पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार योग्य उम्मीदवारों के विचार की तारीख को होता है; सरकार नियमों के संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों को न भरने के लिए एक सचेत नीतिगत निर्णय लेने की हकदार है। कर्मचारी होने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं करता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य के निरस्त नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया गया।

वी. राज कुमार

& ओआरएस।

सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को देखते हुए। इकाई के कुशल संचालन के लिए संवर्ग के पुनर्गठन की स्थिति में पुराने नियमों के अनुसार नियुक्तियां करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं है। एकमात्र आवश्यकता यह है कि सरकार के नीतिगत निर्णय निष्पक्ष और उचित होने चाहिए और अनुच्छेद 14 की कसौटी पर उचित होने चाहिए। रंगैया में सिद्धांत को केवल इसलिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पद थे बनाया गया है, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए पदों को तुरंत भरना अनिवार्य नहीं है। जब संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियों पर नियुक्तियों पर विचार करने का राज्य पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है, तो राज्य को मामलों पर विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 36] [895-एफ-जी; 896-ए-डी]

1.2 पंद्रह निर्णयों में की गई उक्त टिप्पणियों ने रंगैया के मामले को अलग किया है जो दर्शाता है कि व्यापक

1.3 इन पंद्रह फैसलों में सुसंगत निष्कर्ष कि रंगैया के मामले को उसके अपने तथ्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उन घोषणाओं के साथ कि इस प्रभाव के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उन नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उनके उत्पन्न होने की तारीख को मौजूद थे, न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करता है कि रंगैया में निर्णय निहित रूप से खारिज कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि कोई नहीं है

इस प्रभाव के लिए कानून की घोषणा, इसे एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया जाना जारी है और यह न्यायालय इसे कुछ पर अलग करता रहा है

जमीन या दूसरा। स्पष्टता और निश्चितता के लिए, इसलिए यह मानना आवश्यक है कि वाई. वी. रंगैया बनाम में कथन। जे. श्रीनिवास राव ने कहा कि "संशोधित नियमों से पहले जो रिक्तियां थीं, वे पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी, न कि संशोधित नियमों द्वारा", केंद्र और राज्यों के तहत सेवाओं को नियंत्रित करने वाले कानून के सही प्रस्ताव को प्रतिबिंबित नहीं करता है। संविधान के भाग XIV में, इसे इसके द्वारा निरस्त कर दिया गया है; और यह कि संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व

सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों से प्राप्त किया जाना है। [पैरा 37.3] [897-सी-एफ]

वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव (1983) 3 एससीसी 284

- खारिज कर दिया।

1.4 तथ्यों पर, न्यायालय ने देखा कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि 25.11.2006 पर नियमों के संशोधन से पहले होने वाली रिक्तियों को 1966 के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के निर्णय ने श्रम अधिकारियों के 7 नए पदों को भी अपने दायरे में ले लिया जो थे

एक अंतर-विभागीय पत्र दिनांक 20.07.2006 द्वारा स्वीकृत, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आवंटित 3 पद भी शामिल थे। प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवंटित 3 पदों को भी शामिल करने का उच्च न्यायालय का निर्देश इस आधार पर था कि पद

20.07.2006 पर स्वीकृत किए गए थे, जो 25.11.2006 पर नियमों के संशोधन से पहले है। [पैरा 38.1] [897-एफ-एच]

1.5 सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के बाहर किसी कर्मचारी के लिए कोई अधिकार नहीं है। यह कि राज्य के तहत सेवाएं एक स्थिति की प्रकृति में हैं, जिसकी एक विशेषता है कि राज्य को सार्वजनिक हित को कम करने के लिए नियमों में एकतरफा बदलाव करने की आवश्यकता है। उत्तरदाताओं की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले 2006 के नियम उन्हें अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद लागू हो गए। उक्त नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे 1966 के नियमों के अनुसार उत्तरदाताओं पर विचार किया जा सके। मामला यहीं खत्म होना चाहिए। ऐसा कोई अन्य अधिकार नहीं है जो उत्तरदाताओं को नहीं है। 1 3 ऐसे के लिए दावा कर सकते हैं

विचार करें। [पैरा 38.2] [898-ए-सी]

भारत संघ बनाम. तुलसीराम पटेल (1985) 3 एससीसी 398: [1985] 2 पूरक। एससीआर 131; रोशन लाल टंडन बनाम। संघ

भारत सरकार (1968) 1 एस. सी. आर. 185 का अनुसरण किया गया।

1.6 अतिरिक्त संवर्ग बनाकर संवर्ग के पुनर्गठन के अपने नीतिगत निर्णय के आधार पर सरकार की वैकल्पिक याचिका पदों और नियमों में संशोधन करके सीधी भर्ती का प्रावधान, संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों को नहीं भरने के औचित्य के रूप में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से समर्थित है। [पैरा 39.1] [898-सी-डी]

डॉ. के. रामुलु और अन्र बनाम डॉ. एस. सूर्यप्रकाश राव (1997)

3 एस. सी. सी. 59 [1997] 1 एस. सी. आर. 287; राजस्थान हिमाचल प्रदेश और ओ. आर. एस. का सार्वजनिक राज्य।

वी. राज कुमार

& ओआरएस।

सेवा आयोग v. चनान राम (1998) 4 एस. सी. सी. 202: [1998] 1 एससीआर 1099; जी. वेंकटेश्वर राव बनाम। भारत संघ (1999) 8 एस. सी. सी. 455; श्यामा चरण दास बनाम। उड़ीसा राज्य (2003) 4 एससीसी 218: [2003] 2 एस. सी. आर. 899; पंजाब राज्य बनाम अरुण कुमार अग्रवाल (2007) 10 एस. सी. सी. 402 [2007] 6 एस. सी. आर. 8; दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 725: [2011] 4 एस. सी. आर. 149; त्रिपुरा राज्य बनाम। निखिल रंजन चक्रवर्ती (2017) 3 एस. सी. सी. 646; उड़ीसा राज्य बनाम। धीरेंद्र सुंदर दास (2019) 6 एस. सी. सी. 270: [2019] 7 एस. सी. आर. 197; भारत संघ बनाम। कृष्ण कुमार (2019) 4 एस. सी. सी. 319 [2019] 1 एस. सी. आर. 982; राजस्थान राज्य खेल परिषद बनाम। उमा दधीच (2019) 4 एससीसी 316:

[2019] 1 एस. सी. आर. 585 पर भरोसा किया।

1.7 अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि श्रम अधिकारियों के अतिरिक्त पद 20.07.2006 पर बनाए गए हैं और इसके तुरंत बाद 12 श्रम क्षेत्र बनाए गए। इसके बाद 25.11.2006 संवर्ग के पुनर्गठन से नियमों में संशोधन किया जाता है। तथ्य पूरी तरह से विकल्प को सही ठहराते हैं।

राज्य और न्यायालय द्वारा की गई प्रस्तुति को उक्त प्रस्तुति को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। इस प्रकार, उच्च का निर्णय न्यायालय दिनांकित 28.12.2009 को दरकिनार कर दिया गया है। [पैरा 39.2 और 40] [898-डी ई]

डी. राघव। आर. बसवेश्वरुडु 2020 एससीसी ऑनलाइन 124; बी. पी. सिंघल बनाम। भारत संघ (2010) 6 एस. सी. सी. 331; भारत संघ बनाम। अरुण कुमार रॉय (1986) 1 एस. सी. सी. 677; नारायण बनाम। पुरुषोत्तम (2008) 5 एस. सी. सी. 416: [2008] 6 एस. सी. आर. 1055; बृज लाल मोहन बनाम। भारत संघ (2012) 6 एससीसी 502: [2012] 5 एस. सी. आर. 305; सैयद खालिद रिज़वी वी. भारत संघ 1993 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 575: [1992] 3 पूरक। एस. सी. आर. 180; हरदेव सिंह बनाम भारत संघ

(2011) 10 एस. सी. सी. 121; पी. गणेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य (1988) पूरक एस. सी. सी. 740: [1988] पूरक। एससीआर 805; एन. टी. देवीन कट्टी बनाम। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (1990) 3
एससीसी 157; ए. ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक और ए. एन. आर. (1983) 3 एस. सी. सी. 33; पी. महेंद्रन और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य (1990) 1 एससीसी 411: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 385; राजस्थान राज्य बनाम आर. दयाल (1997) 10 एससीसी 419 [1997] 2 एससीआर 108; बी. एल.

गुप्ता बनाम। एमसीडी (1998) 9 एससीसी 223; अर्जुन सिंह राठौर बनाम। बी. एन. चतुर्वेदी (2007) 11 एससीसी 605: [2007]

11 एस. सी. आर. 320; बिहार राज्य बनाम। मिथलेश कुमार (2010) 13 एससीसी 467: [2010] 10 एस. सी. आर. 161; कुलवंत सिंह बनाम

दया राम (2015) 3 एससीसी 177: [2014] 11 एससीआर 1053;

ऋचा मिश्रा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2016) 4 एस. सी. सी. 17

: [2016] 1 एस. सी. आर. 316; भारत संघ बनाम। एस एस उप्पल

(1996) 2 एससीसी 168: [1996] 1 एस. सी. आर. 230; शंकर

डैश बी। भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47: [1991] 2

एस. सी. आर. 567; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। काशीनाथ खेर (1996) 8 एस. सी. सी. 762; दिल्ली न्यायिक सेवा संघ। वी. दिल्ली हाई

न्यायालय (2001) 5 एस. सी. सी. 145 [2001] (3) एस. सी. आर. 314; एम. आई.

कुंजुकुंजू बनाम। केरल राज्य (2015) 11 एससीसी 440; डी।

राघव। आर. बसवेश्वरुडु (2020) 18 एससीसी 1-संदर्भित

को।

' लोक सेवाओं से संबंधित कानून ', समरादित्य पाल, तीसरा

संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस, 2011 पैरा 7.1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1997] 1 एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3.2

[2011] 4 एससीआर 149

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3.2

[2019] 1 एससीआर 982

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3.2

(2010) 6 एससीसी 331

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

(1986) 1 एस. सी. सी. 677

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2008] 6 एससीआर 1055

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[2012] 5 एससीआर 305

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[1992] 3 पूरक। एससीआर 180

पै

रा 10 (v.

संदर्भित किया गया है

(2011) 10 एससीसी 121

पै

रा 10 (v.

संदर्भित किया गया है

[1998] 1 एससीआर 1099

पै

रा 10 (

उस पर भरोसा करें

[1988] पूरक। एससीआर 805

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

(1990) 3 एससीसी157

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13.1

(1983) 3 एससीसी33

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13.1

[1989] 2 पूरक। एससीआर 385

संदर्भित किया गया है

पैरा 13.1 हिमाचल प्रदेश और राज्य की स्थिति। वी. राज कुमार

& ओआरएस।

1997] 2 एससीआर 108

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

1998] 9 एससीसी 223

संदर्भित किया गया है

पैरा

15.1

2007] 11 एससीआर 320

संदर्भित किया गया है

पैरा

16.1

2010] 10 एससीआर 161

पैरा

17.1

संदर्भित किया गया है

2014] 11 एससीआर 1053

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

2016] 1 एससीआर 316

पैरा

19.1

संदर्भित किया गया है

1996] 1 एससीआर 230

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

1991] 2 एससीआर 567

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

1996) 8 एस. सी. सी. 762

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

1999) 8 एससीसी 455

उस पर भरोसा करें

पैरा

25.1

2001] 3 एससीआर 314

संदर्भित किया गया है

पैरा

26.1

2003] 2 एससीआर 899

पैरा

27.1

उस पर भरोसा करें

2007] 6 एस. सी. आर 8

उस पर भरोसा करें

पैरा

28.1

2015) 11 एससीसी 440

संदर्भित किया गया है

पैरा

30.1

2017) 3 एस. सी. सी. 646

उस पर भरोसा करें

पैरा

31.1

2019] 7 एससीआर 197

उस पर भरोसा करें

पैरा

33.1

उस पर भरोसा करें

2019] 1 एससीआर 585

पैरा

34.1

2020) 18 एससीसी 1

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

1983) 3 एससीसी 284

खारिज कर दिया गया

पैरा

37.3

1985] 2 पूरक। एससीआर 131

पीछा किया।

पैरा

38.2

1968] 1 एससीआर 185

पीछा किया।

पैरा

38.2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.974

2011 में।

उच्च न्यायालय के 28.12.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2003 की सिविल रिट याचिका No.3028 में शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार

के साथ 2011 की सिविल अपील No.9747।

अभिनव मुखर्जी, ए. ए. जी., पी. एस. पटवालिया, सुश्री अपराजित सिंग

रवींद्र कुमार रायजादा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठान [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विज, अक्षय सी. श्रीवास्तव, विशाल शर्मा, प्रसांत केसवानी, महेश कुमार, निखिलेश कुमार, सुश्री देविका खन्ना, श्रीमती वी. डी. खन्ना, वी. एम. जेड. चैम्बर्स, सुश्री दिव्या रॉय, अक्षय अमृतांशु, कार्तिकेय सिंह, आशुतोष जैन, अंकित कुमार लाल, वरिंदर कुमार शर्मा, उमंग शंकर, मधुप सिंघल, निर्मल सिंह, रामजी पांडे, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1.1 ये अपीलें हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के रिट याचिका को अनुमति देने और राज्य को निर्देश देने के फैसले से उत्पन्न होती हैं

रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें, उत्तरदाता सं। 1 इसमें 3 तक, उन नियमों के तहत पदोन्नति के लिए जो रिक्तियों के उत्पन्न होने के समय मौजूद थे, न कि बाद में संशोधित नियमों के अनुसार। ये निर्देश आधारित थे वाई. वी. रंगैया बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर। जे. श्रीनिवास राव 1. जैसा कि हमने इस न्यायालय के कई फैसलों को देखा है जो

रंगैया के बाद, और बहुत अधिक निर्णय जिन्होंने इसे अलग किया है, हमें इस मुद्दे की नए सिरे से जांच करनी पड़ी। सवाल यह है कि क्या नियमों के संशोधन से पहले खाली होने वाले सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां पुराने नियमों या नए नियमों द्वारा नियंत्रित की जाएंगी। राज्य के तहत सेवाओं की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में सिद्धांत की जांच करने के बाद, और उन निर्णयों की समीक्षा करने के बाद जिन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में रंगैया का अनुसरण किया है या उन्हें अलग किया है, हमने उन कानूनी सिद्धांतों को तैयार किया है जो राज्य के तहत सेवाओं को नियंत्रित करना चाहिए। उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमने माना है कि रंगैया में तैयार किया गया व्यापक प्रस्ताव सही संवैधानिक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इस प्रकार हमने उन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपीलों की अनुमति दी है जो हमने निर्धारित किए हैं।

1.2 हम सबसे पहले वर्तमान की ओर ले जाने वाले तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

विवाद।

तथ्यः

1.3 हिमाचल प्रदेश भर्ती और पदोन्नति नियम, 1966 2 दिनांक 1 संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम अधिकारी के पद को नियंत्रित करता है। श्रम अधिकारियों के 5 पद थे और इन्हें (i) से पदोन्नति द्वारा भरा जाना था।

वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव (1983) 3 एस. सी. सी. 284, जिसे इसके बाद 'रंगैया' कहा जाता है।

2 इसके बाद इसे '1966 नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

कारखाना निरीक्षक, (ii) श्रम निरीक्षक और (iii) संप्रदाय। अधीक्षक, फीडर श्रेणी होने के नाते। आई. डी. 1 पर, श्रम और रोजगार विभाग के सचिव ने श्रम आयुक्त को एक पत्र संबोधित किया जिसमें विभाग में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए मंजूरी की सूचना दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ श्रम अधिकारियों के लिए 7 और पद शामिल थे। उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप, श्रम अधिकारियों के लिए कुल पद

5 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। इस समय उत्तरदाता संख्या 1 से 3 राज्य की सेवा में श्रम निरीक्षकों के रूप में काम कर रहे थे।

1.4 अतिरिक्त पदों की मंजूरी के चार महीने के भीतर, 1966 के नियमों में 25.11.2006 पर संशोधन किया गया। नए के तहत

एच. पी. श्रम और रोजगार विभाग, श्रम नामक नियम

अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) मंत्रिस्तरीय सेवा अनुसंधान और विकास नियम, 2006 3, श्रम अधिकारी के पद पर भर्ती क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के अनुपात में पदोन्नति के साथ-साथ सीधी भर्ती द्वारा की जानी है। श्रम अधिकारियों के लिए 7 नए पदों के साथ नए नियमों का प्रभाव यह है कि श्रम अधिकारियों के कुल 12 पदों में से पदोन्नति के पद 5 से बढ़कर 9 (75 प्रतिशत) हो गए और सीधी भर्ती के पद 3 (25 प्रतिशत) हो गए।

सेंट)। इसके तुरंत बाद, सरकार ने राज्य में 12 श्रम क्षेत्र बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की।

1.5 यह उपर्युक्त पृष्ठभूमि में है कि उत्तरदाता संख्या 1 से 3 ने प्रस्तावित को चुनौती देते हुए प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

श्रम अधिकारियों के 25 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई। उन्होंने तर्क दिया कि रिक्तियां जुलाई 2006 में उत्पन्न हुईं, जो नए नियमों की घोषणा से पहले की हैं और इसलिए सभी रिक्तियों को केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 24.01.2007 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को मूल आवेदन में उठाई गई शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया जैसे कि यह एक

इसका प्रतिनिधित्व करें। 27.06.2007 पर सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया और अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, दूसरा मूल आवेदन उत्तरदाताओं द्वारा राज्य के समक्ष दायर किया गया था

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 1.6 जबकि मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित था, राज्य सरकार ने आगे बढ़कर इसके माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया

3 प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे के तहत श्रम अधिकारियों के पद। लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया पूरी की और 3 इसके बाद 'नए नियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाता संख्या 4 से 6 के नामों की सिफारिश की। सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और उक्त उत्तरदाताओं को नियुक्त किया गया। यह विवाद में नहीं है कि वे 4 और 5 नवंबर, 2008 को ड्यूटी में शामिल हुए थे। उक्त नियुक्तियों की वैधता और वैधता पर सवाल उठाते हुए, उत्तरदाता संख्या 1 से 3 ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 3028/2008 दायर की, जिसे 28.12.2009 पर विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अनुमति दी गई। डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी, जिससे वर्तमान दीवानी अपील 08.11.2011 पर अनुमति दिए जाने के अनुसार उत्पन्न होती है। इसी तरह, प्रत्यक्ष भर्ती नियुक्तियों, उत्तरदाता संख्या 4 से 6 ने भी एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसकी संख्या सिविल अपील संख्या 4 है। 9747/2011 छुट्टी मिलने के बाद।

2. उत्तरदाता संख्या 1 से 3 की ओर से एकमात्र तर्क दिया गया, जिसे खंड पीठ ने स्वीकार कर लिया था कि नए नियमों की घोषणा से पहले जो रिक्तियां पैदा हुई थीं, उन्हें भरा जाना था

केवल 1966 के नियमों के अनुसार और नए नियमों के अनुसार नहीं। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को तैयार किया और इस पर रिट याचिका की अनुमति देने के लिए आगे बढ़े इस आधार पर कि यह वाई. वी. रंगैया बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है। जे. श्रीनिवास राव (ऊपर)। निर्णय के कार्यात्मक भाग को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ निकाला गया हैः

" यह सवाल कि क्या भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन से पहले होने वाली रिक्तियों को पुराने भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार या नए भर्ती और पदोन्नति नियमों के माध्यम से भरा जाना है, अब नहीं है।

वाई. वी. रंगैया और अन्य बनाम जे. श्रीनिवास राव, (1983) 3 एस. सी. सी. 284 में इस न्यायालय के लॉर्डशिप्स द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए।

प्रस्तुतियाँः

राज्य और श्री. प्रसनजीत केशवानी, एल. डी. उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता और श्री. रवीन्द्र कुमार रायजादा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री दिव्या रॉय द्वारा सहायता प्राप्त, अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड कुछ अन्य प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित हुए। 3.2 अपीलकर्ता राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. पटवालिया ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं। शुरुआत में, वह प्रस्तुत करते थे, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ऑर्स।

वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

कि नए नियमों की वैधता को कोई चुनौती नहीं थी और इसलिए उत्तरदाता ऐसी राहत की मांग नहीं कर सकते जो नियमों के विपरीत हो अर्थात पुराने नियमों के अनुसार पदोन्नति के माध्यम से पदों को भरना। दूसरा, पदों का सृजन करने के लिए 20.07.2006 दिनांकित अंतर-विभागीय पत्र के बाद 02.01.2007 अधिसूचना नई नीति को आगे बढ़ाने के लिए थी जिसे नियमों में किए गए संशोधनों द्वारा लागू किया गया था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि अंतर-विभागीय पत्र दिनांकित था

20.07.2006 इसे एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता है और यह कैडर के पुनर्गठन की बड़ी नीति का हिस्सा है। तीसरा, पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है, हालांकि इस तरह के विचार के समय लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। चौथा, राज्य द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से राज्य के नीतिगत विचार पर आधारित है जिसे उच्च न्यायालय ध्यान में रखने में विफल रहा। इस निवेदन के समर्थन में, के. रामुलु, दीपक अग्रवाल और कृष्ण कुमार में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया गया था। अंत में यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने रंगैया के निर्णय को लागू करने में गलती की, जो पदोन्नति का मामला था, जबकि वर्तमान मामला श्रम अधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती के बारे में है।

3.3 श्री केशवानी के बाद उत्तरदाताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रायजादा ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं। वे विरोध करेंगे

कि 7 नए पद नए नियमों की घोषणा से पहले बनाए गए थे और नए नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के संबंध में कोई सरकारी नीति नहीं थी। दूसरा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि राज्य ने पदों को खाली रखने के लिए एक सचेत निर्णय लिया था।

नए नियमों के अनुसार भरा गया। इसके विपरीत, वे प्रस्तुत करेंगे कि पदों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए 20.07.2006 दिनांकित संचार

यह मानते हुए कि वे पुराने नियमों द्वारा शासित होने चाहिए न कि नए नियमों द्वारा। अंत में, लंबित रिक्तियों पर नए नियम लागू करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उन्होंने (i) होश में लिया था

नए नियमों की घोषणा होने तक रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय और (ii) ऐसा निर्णय एक अच्छे और वैध कारण के लिए होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, के. रामुलु में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है।

4 डॉ. के. रामुलु और अन्न बनाम डॉ. एस. सूर्यप्रकाश राव (1997) 3 एससीसी 59। 5 दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 725।

6 भारत संघ बनाम। कृष्ण कुमार (2019) 4 एससीसी 319। 7 डॉ. के. रामुलु और अन्न बनाम डॉ. एस. सूर्यप्रकाश राव (1997) 3 एससीसी 59।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दीपक अग्रवाल और डी. रघु यह प्रदर्शित करेंगे कि ऐसा कोई प्रयास नहीं है

बनाया गया था।

मुद्दाः

4.1 असली सवाल यह है कि क्या नए नियमों की घोषणा से पहले रिक्तियों को केवल पुराने नियमों के अनुसार ही भरा जाना है, न कि संशोधित नियमों के अनुसार? यह तर्क दिया जाता है कि यह सिद्धांत अब एकीकरण के खिलाफ नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने रंगैया के मामले में इस तरह के अधिकार को मान्यता दी है और इसका बड़ी संख्या में पालन किया गया है। बाद के निर्णय। प्रत्यर्थियों द्वारा ऐसे निर्णयों की एक सूची न्यायालय को भेजी गई थी। दूसरी ओर, यह प्रस्तुत करते हुए कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है, इस न्यायालय के फैसलों की एक बड़ी सूची जो रंगैया को प्रतिष्ठित करती है, राज्य की ओर से हमें भेजी गई थी।

4.2 हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि बड़ी संख्या में ऐसे निर्णय हैं जो या तो रंगैया के सिद्धांत का पालन करते हैं या हैं इसे प्रतिष्ठित किया। रंगैया के मामले में सिद्धांत ने कई फैसलों को जन्म दिया है, उनमें से अधिकांश ने रंगैया को अस्वीकार कर दिया है और

वास्तव में, इसे अलग करते हुए सिद्धांत को कम किया। मामले के इस दृष्टिकोण में, और स्पष्टता और निश्चितता के लिए, हमारे लिए विषय की समीक्षा करना और सिद्धांत को सरल और स्पष्ट शब्दों में दोहराना आवश्यक है।

4.3 हम पहले रंगैया में निर्धारित सिद्धांत की जांच करेंगे।

स्वयं। हम राज्य के तहत सेवाओं से संबंधित संविधान के अध्याय XIV में प्रदान की गई संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में इसका सत्यापन करेंगे। इसके बाद हम रंगैया के बाद के निर्णयों और उन निर्णयों की भी जांच करेंगे जिन्होंने इसे अलग किया है। सिद्धांत को दोहराने के बाद, हम इसे अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए मामले के तथ्यों पर लागू करेंगे।

वाई. वी. रंगैया बनाम के मामले में निर्णय। जे. श्रीनिवास रावः

5.1 रंगैया के मामले में याचिकाकर्ता ए. पी. पंजीकरण और अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 4 (ए) (1) (आई) के तहत ए. पी. सरकार के पंजीकरण और डाक टिकट विभाग में एल. डी. सी. के रूप में काम कर रहे थे।

एल. डी. सी. नियम 34 (सी) के तहत बनाए गए "अनुमोदित उम्मीदवारों" के पैनल से बनाए जाने थे। पैनल को हर साल सितंबर के महीने में निर्धारित प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाना था और यह अगले वर्ष के लिए एक सूची तैयार होने तक काम कर सकता था। महत्वपूर्ण रूप से, सूची में उतने ही व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जितने रिक्त पद हैं। जिस तरह से 8 दीपक अग्रवाल। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 725।

डी. रघु बनाम। आर. बसवेश्वरुडु 2020 एससीसी ऑनलाइन 124।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

अनुमोदित सूची निर्धारित समय के भीतर तैयार नहीं की गई थी, पदोन्नति समय पर नहीं हो सकी थी। इस बीच, संशोधित नियम लागू हो गए, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं ने विचार किए जाने का मौका खो दिया पदोन्नति के लिए। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि पदोन्नति के लिए नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का उनका अधिकार नए नियमों के आने से नहीं खोएगा क्योंकि नियमों के संशोधन से पहले होने वाली रिक्तियों को अपरिवर्तित नियमों के तहत भरा जाना था। दूसरे शब्दों में, तर्क यह था कि पुराने नियमों के तहत अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन किया गया था। यह इस संदर्भ में है कि न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 9. ..... पुराने नियमों के तहत हर बार एक पैनल तैयार करना पड़ता था।

वर्ष 1976 में तैयार किया गया और हस्तांतरण या पदोन्नति उप-पंजीयक ग्रेड-II का पद बनाया जाना चाहिए था।

उस पैनल से। उस घटना में, दोनों में याचिकाकर्ता

प्रतिनिधित्व याचिकाएँ जो उत्तरदाताओं से उच्च स्थान पर हैं

3 15 को उनके होने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया होगा

संशोधित नियमों के अनुसार नहीं। यह दोनों के वकील द्वारा स्वीकार किया जाता है। वे पक्ष जो अब से उप के पद पर पदोन्नत होते हैं

नए नियमों को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन द. सवाल उन रिक्तियों को भरने का है जो पहले हुई थीं

संशोधित नियम। हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि पद

जो संशोधित नियमों से पहले खाली हो गया था यह पुराने नियमों द्वारा शासित होता है न कि नए नियमों द्वारा। "

(जोर दिया गया)

5.2 रंगैया के मामले में जो सवाल उठा वह संबंधित था

उम्मीदवारों की एक अनुमोदित सूची तैयार करने के लिए पुराने नियमों के तहत अनिवार्य दायित्व और सूची में रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी उपलब्ध रिक्तियां। यह इस संदर्भ में है कि न्यायालय ने कहा कि रिक्तियों को पुराने नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह निर्णय एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत को निर्धारित करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए कि नियमों के संशोधन से पहले होने वाली रिक्तियों को पुराने नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायालय ने किसी कर्मचारी के किसी भी निहित अधिकार की पहचान नहीं की है, जैसा कि बाद के कुछ मामलों में इस फैसले में पढ़ा गया है।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.3 हालाँकि, जैसा कि रंगैया के मामले में अवलोकन किया गया है

एक सामान्य सिद्धांत के रूप में माना जाता है कि रिक्तियां इससे पहले उत्पन्न होती हैं

नियमों का संशोधन केवल पुराने नियमों के अनुसार किया जाना है, हमारे लिए कानून की सही स्थिति की जांच करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, हम संवैधानिक स्थिति और उस स्थिति की जांच करेंगे जो एक कर्मचारी और राज्य के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है।

संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की स्थितिः

6.1 राज्य और उसके कर्मचारियों के बीच संबंध है

संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की समाप्ति। 6.2 अनुच्छेद 310 में प्रावधान है कि संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, संघ या राज्यों की सेवा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पद धारण करता है।

राष्ट्रपति या राज्यपाल की खुशी के दौरान।

6.3 संसद या किसी राज्य को प्रदत्त विधायी शक्ति

विधायिका, कानून बनाने के लिए, या राष्ट्रपति या राज्यपाल को अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने के लिए प्रदत्त कार्यकारी शक्ति को अनुच्छेद 310 में सन्निहित आनंद के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 309 प्रतिबंधात्मक खंड के साथ खुलता है, जो संविधान के प्रावधान के अधीन है। यही कारण है कि लोक सेवक की सेवाओं की शर्तों को निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की विधायिका और नियम बनाने की कार्यपालिका की शक्ति हमेशा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर कार्यकाल के अधीन होती है।

310 .

7.1 सार्वजनिक रोजगार प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रावधान

राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर कार्यकाल का आधार है - 'सार्वजनिक नीति', 'सार्वजनिक हित' और 'सार्वजनिक भलाई' पर आधारित। संविधान में सार्वजनिक रोजगार को आनंद में रखने की अवधारणा की व्याख्या की गई है।

भारत संघ बनाम में इस न्यायालय का न्यायपीठ निर्णय। तुलसीराम पटेल 1 3. सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संबंध, जैसा कि इस निर्णय में समझाया गया है, 14 1 4 के तहत तैयार किया जा सकता हैः

10 अनुच्छेद 309, भारत का संविधान। 1 1 अनुच्छेद 310, भारत का संविधान। 12 अनुच्छेद 311, भारत का संविधान। 13 भारत संघ बनाम। तुलसीराम पटेल (1985) 3 एससीसी 398।

1 4 तुलसीराम मामले में सुसंगत प्रस्ताव, जैसा कि 'लोक सेवाओं से संबंधित कानून', समरादित्य पाल, तीसरा संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस, 2011 में पहचाना और निकाला गया है, सुविधा के लिए अपनाया गया है।

हिमाचल प्रदेश और ओ. आर. एस. का भोजन। वी. राज कुमार

& ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

I. यूनाइटेड किंगडम के विपरीत, भारत में यह इसके अधीन नहीं है

संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून लेकिन केवल उसी के अधीन है जो

संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया। 15 II. आनंद सिद्धांत एक सरकारी कर्मचारी के कार्यकाल से संबंधित है., जिसका अर्थ है वह अवधि जिसके लिए एक पदधारी

कार्यालय इसे रखता है। 16

III. यह स्थिति कि आनंद सिद्धांत क्राउन के किसी विशेष विशेषाधिकार पर आधारित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक नीति पर आधारित है, इस न्यायालय द्वारा यू. पी. बनाम राज्य में स्वीकार किया गया है। बाबू राम उपाध्याय और मोती राम डेका बनाम। महाप्रबंधक, एन. ई. एफ., रेलवे, मालीगांव, पांडु "1? .

IV. इस तरह के आनंद के प्रयोग पर केवल एक ही बाधा रखी जाती है जब इसे संविधान में ही स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है, यानी जब संविधान में इस संबंध में एक स्पष्ट प्रावधान होता है। इस संबंध में व्यक्त प्रावधान कुछ संवैधानिक अधिकारियों के मामले में पाए जाते हैं जिनके कार्यकाल के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 124 के खंड (4) और (5) में संविधान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 218। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 (1),

मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में अनुच्छेद 324 (1) और चुनाव आयुक्तों के संबंध में अनुच्छेद 324 (5)

और क्षेत्रीय आयुक्त। 18 V. अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) पर प्रतिबंध लगाते हैं

राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 310 (1) के तहत अपनी खुशी का प्रयोग। ये बर्खास्तगी या निष्कासन द्वारा सेवा की समाप्ति के संबंध में और सिविल सेवक के पद में कमी के संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान हैं और इस प्रकार अपवाद पद के दायरे में आते हैं।

अन्यथा इस 'संविधान' द्वारा प्रदान किया गया है जो अनुच्छेद 310 (1) को योग्य बनाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 311 अनुच्छेद 310 का एक अपवाद है और इसका वर्णन परशोतम लाल ढींगरा बनाम में किया गया है। भारत संघ, 19

5) 3 एससीसी 398 @439

440 पर।

441 पर

447 पर।

अनुच्छेद 310 (1) के प्रावधान के रूप में कार्य करते हुए हालांकि एक अलग लेख। 20

VI. हालांकि, अनुच्छेद 309 इसका अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं है।

किसी भी स्पष्ट प्रावधान को निर्धारित करना जो से अपमानजनक होगा अनुच्छेद 310 (1) के तहत आनंद के अभ्यास का आयाम।

यह केवल उपयुक्त विधायिका या कार्यपालिका को प्रदान करता है।

कानून बनाने और नियम बनाने की शक्ति लेकिन यह शक्ति है

संविधान के प्रावधानों के अधीन किया गया। इस प्रकार,

अनुच्छेद 309 अनुच्छेद 310 (1) और किसी भी प्रावधान के अधीन है।

राष्ट्रपति की खुशी के प्रयोग को सीमित करना या

अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए या बनाए गए किसी अधिनियम या नियम में राज्यपाल

संविधान का एक स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण, नहीं कर सकते

अभिव्यक्ति 'के भीतर आते हैं सिवाय इसके कि स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है

यह संविधान 'अनुच्छेद 310 (1) में होता है और इसमें होगा अनुच्छेद 310 (1) के साथ टकराव और माना जाना चाहिए

असंवैधानिक है। 21

VII. अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं जिस तरह से एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है,

पद से हटा दिया गया या घटा दिया गया और जब तक कि कोई अधिनियम या नियम नहीं बनाया गया हो

अनुच्छेद 309 के तहत बनाया गया प्रावधान भी इन प्रतिबंधों के अनुरूप है,

यह शून्य होगा। खंड (1) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और (2) अनुच्छेद 311 के दो भाग हैं-(i) प्राधिकरण के संबंध में

किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने का अधिकार

अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (ii) के संबंध में उपबंध किए गए हैं।

बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी की प्रक्रिया के लिए

खंड (2) में उपबंधित किसी सरकारी कर्मचारी का। 2 2

(जोर दिया गया)

7.2 इसकी उत्पत्ति के बावजूद, आनंद के सिद्धांत को शामिल किया गया।

हमारी संवैधानिक योजना एक महत्वपूर्ण जनता के लिए है

ओस। तुलसीराम पटेल (ऊपर) के पैरा 44 और 45 में, इस न्यायालय ने

इस सिद्धांत को शामिल करने का उद्देश्य और उद्देश्यः

" 44. मंत्री नीतियां बनाते हैं और विधायिकाएं कानून बनाती हैं

और उस तरीके को निर्धारित करें जिसमें ऐसी नीतियों को लागू किया जाना है

बाहर और कानून के उद्देश्य को प्राप्त किया। कई मामलों में,

447 पर।

447 पर

447 हिमाचल प्रदेश और ओ. आर. एस. की श्रेणी। वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में ऐसी नीतियों और कानूनों का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सुधार लाना और गरीब और वंचित वर्गों का उत्थान करना है। प्रकृति से

हालाँकि, इन नीतियों और अधिनियमों को कुशलता और प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य सिविल सेवाओं पर निर्भर करता है। इसलिए, जनता ऐसी सेवाओं की दक्षता और अखंडता में बहुत रुचि रखती है। आखिरकार सरकारी कर्मचारियों को सरकारी खजाने से भुगतान किया जाता है जिसमें हर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से योगदान देता है। जिन लोगों को जनता द्वारा भुगतान किया जाता है और जिन्हें सार्वजनिक भलाई के लिए लोक प्रशासन का प्रभार दिया जाता है, उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जिम्मेदारी की भावना लानी चाहिए। की दक्षता

लोक प्रशासन केवल इन सेवाओं के शीर्ष स्तरों पर निर्भर नहीं है। यह सभी पर निर्भर करता है

ऐसी सेवाओं के अन्य सदस्य, यहां तक कि सबसे अधीनस्थ पदों पर भी। उदाहरण के लिए, रेलवे बोर्ड के सदस्यों या विभिन्न रेलवे के महाप्रबंधकों या रेलवे प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के कारण रेलवे नहीं चलती है। वे इंजन ड्राइवर, फायरमैन, सिग्नलमैन, बुकिंग क्लर्क और इसी तरह के सौ अन्य पदों पर बैठे लोगों के कारण भी चलते हैं। इसी तरह, यह नहीं है

प्रशासनिक प्रमुख जो अकेले डाक और तार सेवा के उचित कामकाज को देख सकते हैं। एक सेवा के लिए

कुशलता से चलने के लिए, इसलिए, जिम्मेदारी की सामूहिक भावना होनी चाहिए। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए, उसे कार्यकाल की सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। हमारे संविधान के तहत, अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए अधिनियमों और नियमों के साथ-साथ अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) में प्रदान की गई बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी के दंड के संबंध में सुरक्षा उपायों द्वारा भी इसका प्रावधान किया गया है। हालाँकि, यह सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के लिए है कि सरकारी कर्मचारी जो अक्षम, बेईमान या भ्रष्ट हैं या सुरक्षा जोखिम बन गए हैं, उन्हें सेवा में बने नहीं रहना चाहिए और अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 311 के तहत बनाए गए अधिनियमों और नियमों द्वारा उन्हें दी गई सुरक्षा का उनके द्वारा सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के नुकसान के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब जैसी स्थिति की परिकल्पना की गई है

अनुच्छेद 311 के खंड (2) के दूसरे परंतुक के तीन खंडों में से एक उत्पन्न होता है और प्रासंगिक खंड ठीक से लागू होता है [2022] 15 एस. सी. आर.

और अनुशासनात्मक जांच के साथ, संबंधित सरकारी कर्मचारी को यह शिकायत करते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह अपनी आजीविका से वंचित है। एक व्यक्ति की आजीविका है

उनके और उनके परिवार के लिए बहुत चिंता की बात है लेकिन उनके

आजीविका उसके निजी हित का मामला है और जहां ऐसी आजीविका सरकारी खजाने द्वारा प्रदान की जाती है और ऐसी आजीविका को छीनना सार्वजनिक हित में है और सार्वजनिक भलाई के लिए, पहले वाले को बाद वाले के आगे झुकना चाहिए। ये होते हैं परिणाम

इसका पालन न करें क्योंकि आनंद सिद्धांत एक विशेष है।

ब्रिटिश क्राउन का विशेषाधिकार जो विरासत में मिला है

भारत और हमारे संविधान में परिवर्तित किया गया

हमारे गणराज्य की संवैधानिक व्यवस्था-लेकिन क्योंकि सार्वजनिक नीति की आवश्यकता है, जनहित की आवश्यकताएँ और सार्वजनिक भलाई की माँगें

कि ऐसा एक सिद्धांत होना चाहिए। 45. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 310 (1) में सन्निहित आनंद सिद्धांत, अनुच्छेद 311 के खंड (1) और (2) द्वारा सिविल सेवकों को दिया गया संरक्षण और

अनुच्छेद 311 के खंड (2) के तहत दूसरे द्वारा संरक्षण संविधान में इन पर सभी प्रावधान किए गए हैं -

सार्वजनिक नीति का आधार और जनहित में और इसके लिए हैं

सार्वजनिक भलाई।

"

8. राष्ट्रपति या राज्यपाल की खुशी में पद धारण करने वाले लोक सेवक का सिद्धांत संविधान में (अनुच्छेद 310 के तहत) शामिल किया गया है। इसका सीधा असर अनुच्छेद 309 के तहत प्रदान की गई सेवा की शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए कानून बनाने या कार्यपालिका बनाने के लिए राज्य या विधायिका की शक्तियों पर पड़ता है। उपर्युक्त परिच्छेदों में स्थिति स्पष्ट रूप से समझाई गई है। बी. पी. अल वी. में भारत संघ 2 3 23 इस न्यायालय ने राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा के दौरान कार्यालय के परिणाम की व्याख्या कीः

" 33. सुख का सिद्धांत जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित किया गया था

इंग्लैंड एक विशेषाधिकार शक्ति थी जो निरंकुश थी। इसका मतलब यह था कि आनंद के तहत किसी पद के धारक को किसी भी समय, बिना किसी सूचना के, बिना कारण बताए हटाया जा सकता था।

और बिना किसी कारण की आवश्यकता के। लेकिन जहां कानून का शासन है, वहां निरंकुश विवेक या गैर-जिम्मेदाराना कार्रवाई जैसा कुछ नहीं है। कारण के लिए आवश्यकता की डिग्री हो सकती है

अलग-अलग होते हैं। न्यायिक समीक्षा के दौरान जांच की मात्रा भिन्न हो सकती है।

सिंघल बनाम। भारत संघ (2010) 6 एस. सी. सी. 331।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

लेकिन कारण की आवश्यकता मौजूद है। नतीजतन, जब भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ पद राष्ट्रपति की खुशी के दौरान बिना किसी स्पष्ट सीमाओं या प्रतिबंधों के आयोजित किए जाएंगे, तो इसे अनिवार्य रूप से "संविधान के मूल सिद्धांतों" के अधीन होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। संविधानवाद "।

9. इसी पृष्ठभूमि में लोक सेवक की नियुक्ति को समझना चाहिए। यद्यपि कर्मचारी और कर्मचारी के बीच संबंध

राज्य अनुबंध में उत्पन्न होता है, लेकिन संवैधानिक बाधा के कारण, सेवा को नियंत्रित करने वाले विधायी और कार्यकारी नियमों के साथ मिलकर, संबंध एक अद्वितीय स्थिति प्राप्त करता है। इस तरह की पहचान

यह न्यायालय रोशन लाल टंडन बनाम में एक अनुबंध के विपरीत एक 'स्थिति' के रूप में संबंध रखता है। यूनियन ऑफ इंडिया 24 ने बताया कि ऐसी 'स्थिति' क्या है

गठित करता है। हमने नीचे इस अवधारणा की व्याख्या की है।

तैयार संदर्भ के लिए संविधान पीठ द्वारा समझाया गया 'स्थिति'। इस मामले में याचिकाकर्ता रोशन लाल टंडन को ट्रेन परीक्षक-ग्रेड 'डी' के रूप में नियुक्त किया गया था। जिस समय वे सेवा में शामिल हुए थे, उस समय ग्रेड 'सी' में अगले पद पर पदोन्नति कुछ नियमों द्वारा शासित थी जिन्हें बाद में संशोधित किया गया था। संशोधन पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि जब वे सेवा में शामिल हुए तो उन्हें ग्रेड 'सी' में पदोन्नत होने का अधिकार था और इस तरह के अधिकार को बाद के संशोधन के माध्यम से बदला नहीं जा सकता था। इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने सरकारी रोजगार के संबंध को 'स्थिति' के रूप में निम्नानुसार समझायाः

" 6. हम याचिकाकर्ता के अगले तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ग्रेड 'डी' में प्रवेश करने के समय याचिकाकर्ता पर लागू सेवा की शर्त के संबंध में एक संविदात्मक अधिकार था और बाद में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा सेवा की शर्त को उसके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता था। यह कहा गया था कि रेलवे बोर्ड के 25 जनवरी, 1958 के आदेश, अनुलग्नक 'बी' में निर्धारित किया गया था कि ग्रेड 'डी' से ग्रेड 'सी' में पदोन्नति वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता पर आधारित होनी थी और सेवा की यह शर्त संविदात्मक थी और इसके बाद इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था।

याचिकाकर्ता का पूर्वाग्रह। हमारी राय में, इस तर्क के लिए कोई वारंट नहीं है। यह सच है कि सरकारी सेवा की उत्पत्ति संविदात्मक है। हर मामले में एक प्रस्ताव और स्वीकृति होती है। लेकिन एक बार अपने पद या कार्यालय में नियुक्त होने के बाद

24 रोशन लाल टंडन बनाम। भारत संघ (1968) 1 एस. सी. आर. 185।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकारी कर्मचारी एक दर्जा और अपने अधिकार प्राप्त करता है और दायित्व अब दोनों की सहमति से निर्धारित नहीं होते हैं।

पक्षकार, लेकिन कानून या वैधानिक नियमों द्वारा जो बनाए जा सकते हैं

और सरकार द्वारा एकतरफा रूप से परिवर्तित किया गया। दूसरे शब्दों में, सरकारी कर्मचारी की कानूनी स्थिति इनमें से एक है -

अनुबंध की तुलना में स्थिति। स्थिति का हॉल-चिह्न है

लगाए गए अधिकारों और कर्तव्यों के कानूनी संबंध से लगाव

सार्वजनिक कानून द्वारा और केवल पक्षों की सहमति से नहीं।

सरकारी कर्मचारी का परिलब्धि और उसकी शर्तें

सेवाएँ क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती हैं जो

सहमति के बिना सरकार द्वारा एकतरफा रूप से परिवर्तित किया जाए

कर्मचारी का। यह सच है कि अनुच्छेद 311 लागू करता है।

हटाने की शक्ति पर संवैधानिक प्रतिबंध दिए गए

अनुच्छेद 310 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को। लेकिन यह है

स्पष्ट है कि सरकार और उसके बीच संबंध

नौकर एक के बीच सेवा के एक सामान्य अनुबंध की तरह नहीं है

स्वामी और सेवक। कानूनी संबंध पूरी तरह से कुछ है। अलग, स्थिति की प्रकृति में कुछ। यह बहुत अधिक है।

विशुद्ध रूप से संविदात्मक संबंध की तुलना में स्वेच्छा से प्रवेश किया गया दलों के बीच। दर्जे के कर्तव्य कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

और इन कर्तव्यों के प्रवर्तन में, समाज की रुचि है। 7. इसलिए हमारी राय है कि याचिकाकर्ता के पास नहीं है

उसकी सेवा की शर्तों के संबंध में निहित संविदात्मक अधिकार

और याचिकाकर्ता का वकील ऐसा करने में असमर्थ रहा है

मामले के इस पहलू पर उनका निवेदन अच्छा है। "

10. रोशन लाल टंडन के मामले में निर्धारित सिद्धांत है -

इस न्यायालय के कई निर्णयों में शामिल हुए। 25 इन पूर्ववर्तियों में निर्धारित सिद्धांतों से उत्पन्न होने वाले कथन निम्नलिखित हैं।

((i)

संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, प्रत्येक

संघ की सिविल सेवा में कार्यरत व्यक्ति या

राष्ट्रपति की खुशी के दौरान राज्य पद धारण करते हैं या

राज्यपाल (अनुच्छेद 310)। आनंद में कार्यकाल एक है

लोक हित और लोक भलाई के लिए राज्य के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए संवैधानिक नीति, जैसा कि में समझाया गया है

तुलसीराम पटेल (ऊपर)।

भारत बनाम। अरुण कुमार रॉय, (1986) 1 एस. सी. सी. 677; नारायण बनाम। पुरुषोत्तम

5 एस. सी. सी. 416; बृज लाल मोहन बनाम। भारत संघ (2012) 6 एस. सी. सी. 502।

हिमाचल प्रदेश और ओ. आर. एस. का भोजन। वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

((ख)

संघ और राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है

और अनुच्छेद 309,310 और 311 के तहत नियम

भर्ती, सेवा की शर्तें, कार्यकाल और समाप्ति। अधिकार और दायित्व अब निर्धारित नहीं किए जाते हैं

पक्षों की सहमति लेकिन क़ानून या नियमों द्वारा लगाए गए अधिकारों और कर्तव्यों के कानूनी संबंध द्वारा। सेवाएँ,

इस प्रकार, एक स्थिति प्राप्त करें। दर्जे की पहचान कानूनी अधिकारों और दायित्वों में है।

(iii)

उन कानूनों द्वारा लागू किया जाता है जिन्हें कर्मचारी की सहमति के बिना सरकार द्वारा एकतरफा रूप से बनाया और बदला जा सकता है।

((iv) शासन करने वाले नियमों के प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए

सरकार और उसके कर्मचारी के बीच संबंध, रोजगार से संबंधित सभी मामले, समाप्ति सहित सेवा की शर्तें नियमों द्वारा शासित होती हैं। वहाँ हैं। नियमों के प्रावधान के बाहर कोई अधिकार नहीं।

राज्य द्वारा भर्ती में, नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है।

(v)

लेकिन केवल निष्पक्ष रूप से माने जाने का अधिकार। की प्रक्रिया

भर्ती के लिए बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा

कहा गया उद्देश्य।

(vi) मामलों सहित लोक सेवक की सेवा की शर्तें।

पदोन्नति और वरिष्ठता मौजूदा नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। नियमों से स्वतंत्र कोई निहित अधिकार नहीं हैं।

सेवा का संचालन करना। 26

(vii) कानूनों के अधिनियमन और सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के जारी होने के साथ, सरकारें नियम के अधिदेश से समान रूप से बाध्य हैं। सेवाओं और कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रावधान के बाहर कोई शक्ति या विवेकाधिकार नहीं है।

राज्य न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। 27

11. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के साथ काम करने वाले व्यक्ति के संवैधानिक नियमों से प्रवाहित होने पर, हमें यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि रंगैया की टिप्पणियों में कहा गया है कि वे पद जो खाली हो गए थे।

नियमों में संशोधन पुराने नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

नए नियम कानून की सही स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। हम.

पहले से ही समझाया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी की स्थिति

खालिद रिज़वी बनाम भारत संघ 1993 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 575; हरदेव सिंह बनाम

भारत सरकार 2011 (10) एस. सी. सी. 121

स्थान लोक सेवा आयोग बनाम। चानन राम, (1998) 4 एस. सी. सी. 202।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष रूप से नियमों द्वारा शासित एक संबंध शामिल है और इन नियमों के बाहर कोई अधिकार नहीं हैं जो सेवाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, रंगैया के मामले में अदालत ने इस तरह का पता लगाकर अपनी टिप्पणी को उचित नहीं ठहराया है। किसी भी सिद्धांत पर या नए नियमों के आधार पर अधिकार। 28 जैसे कि एक

बड़ी संख्या में निर्णय जो रंगैया के अधीन आए

यह मानते हुए कि रंगैया में एक व्यापक सिद्धांत निर्धारित किया गया है, हमें अनिवार्य रूप से रंगैया के बाद के मामलों की जांच करनी होगी। अब हम इस बात की जांच करेंगे कि बाद के निर्णयों ने रंगैया को कैसे समझा, लागू किया या अलग किया।

वाई. वी. रंगैया और अन्य के बाद के निर्णय। वी. जे. श्रीनिवास

राव।

12.1 रंगैया के बाद पहला मामला पी. गणेश्वर का है।

राव वी. A.P.29 की स्थिति न्यायालय विशेष नियमों द्वारा शासित सहायक अभियंता के पद पर भर्ती के बारे में चिंतित था। 30 विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या विशेष नियमों में संशोधन से पहले सहायक अभियंताओं की श्रेणी में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर संशोधित या अपरिवर्तित नियमों के अनुसार विचार किया जाना था। स्पष्टीकरण (ग) और विशेष नियमों के प्रावधान पर विचार करने के बाद, जिसमें "श्रेणी में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संशोधित नियम का उद्देश्य स्वयं उन नियमों के आधार पर रिक्तियों को भरना है जो नियमों के संशोधन से पहले मौजूद थे। यह एक ऐसा मामला है जिसने संशोधित नियम के शब्दों को ही चालू कर दिया। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 7. ..... एकमात्र प्रश्न जिस पर अब विचार किया जाना है वह है क्या 28 अप्रैल, 1980 को विशेष में किया गया संशोधन

नियम केवल उन रिक्तियों पर लागू होते हैं जो तारीख के बाद उत्पन्न होती हैं

जिस पर संशोधन लागू हुआ या क्या यह लागू हुआ

उन रिक्तियों के लिए जो उक्त तिथि से पहले भी उत्पन्न हुई थीं।

स्पष्टीकरण में महत्वपूर्ण शब्द जो प्रस्तुत किए गए थे

28 अप्रैल, 1980 को विशेष नियमों में संशोधन करके

में उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण रिक्तियों का 37 1/2 प्रतिशत था

सहायक इंजीनियरों की श्रेणी को सीधे द्वारा भरा जाएगा

28 वास्तव में, डॉ. के. रामुलु और अन्न बनाम का मामला। डॉ. एस. सूर्यप्रकाश राव (उपरोक्त) ठीक यही हैं जहां नए संशोधित नियमों के अनुसार पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए नए संशोधित नियमों में एक विशिष्ट आवश्यकता थी। निरस्त नियमों में नए नियमों के अनुसार पिछली रिक्तियों को भरने का प्रावधान था। इसके अलावा, पी. गणेश्वर राव बनाम। ए. पी. राज्य, 1988 पूरक एस. सी. सी. 740 का इरादा पुराने नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने का था। 29 पी. गणेश्वर राव बनाम ए. पी. राज्य, 1988 पूरक एस. सी. सी. 740। 30 आंध्र प्रदेश पंचायत राज इंजीनियरिंग सेवा (विशेष) नियम, 1963।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

भर्ती "। यदि उपरोक्त खंड "37 1/2 प्रतिशत" पढ़ा था सहायक की श्रेणी में महत्वपूर्ण रिक्तियों में से

इंजीनियरों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा "शायद

चर्चा के लिए ज्यादा जगह नहीं होती। द.

उक्त खंड तब रिक्तियों पर भी लागू होता

जो संशोधन की तारीख से पहले उत्पन्न हुआ था लेकिन जो उस तारीख से पहले नहीं भरा गया था। हम महसूस करते हैं कि अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुति में बहुत बल है

और राज्य सरकार ने कहा कि शब्द का परिचय

" उपरोक्त खंड में उत्पन्न होने से यह केवल उन लोगों पर लागू होता है जो

रिक्तियां जो तारीख के बाद अस्तित्व में आईं संशोधन "।

12.2 इस मामले में निर्णय संशोधित नियम की स्थिति पर आधारित है। इस मामले में भी, न्यायालय ने नियमों के संशोधन से पहले उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए एक लोक सेवक के निहित अधिकार के किसी भी सामान्य सिद्धांत की पहचान नहीं की है। बिना किसी विश्लेषण के, न्यायालय ने कहा कि रंगैया में निर्धारित सिद्धांत लागू होता है और नए नियमों की व्याख्या के साथ आगे बढ़ता है।

13.1 एन. टी. देवीन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा

आयोग 3 1, तहसीलदार के पद पर नियुक्ति से संबंधित मामला है, जो 1975 के नियम 3 2 के तहत शासित एक चयन पद है, जिसे सेवाकालीन सेवा से भरा जाना है।

उम्मीदवार। जबकि विज्ञापन मई 1975 में जारी किया गया था, एससी/एसटी उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण के नियमों का पालन करके उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया 9 जुलाई 1975 को लागू की गई थी। अदालत ने कहा कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाएगा, जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और मौखिक परीक्षा से गुजरे हैं, उन्होंने विज्ञापन के संदर्भ में चयन के लिए विचार करने के लिए एक निहित अधिकार प्राप्त किया है। न्यायालय ने कहा कि चूंकि नियमों का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसमें है।

इस संदर्भ में, कि न्यायालय ने रंगैया और पी. गणेश्वर राव के मामले को संदर्भित किया। न्यायालय ने कैल्टन 33 पर भी भरोसा किया जो यू. पी. इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत प्राचार्य के पद के लिए नियुक्ति से संबंधित था और महेंद्रन का 34 मामला जो संबंधित था

31 31 एन. टी. देवीन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग (1990) 3 एस. सी. सी. 157. 32 कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (तहसीलदार) भर्ती (विशेष) नियम, 1975। 33 3 ए. ए. कैल्टन बनाम शिक्षा

निदेशक और एन. आर. (1983) 3 एस. सी. सी. 33. 34 पी. महेंद्रन और ओआरएस बनाम कर्नाटक राज्य (1990) 1 एससीसी 411।

मोटर वाहन ईक्टर के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए परिभ्रमण प्रक्रिया। जारी किए जाने के बाद नियमों में किए गए परिवर्तनप्रश्न विचाराधीन था। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 11. सवाल का एक और पहलू भी है। जहां विज्ञापन जारी किया जाता है, सीधे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

पदों की एक श्रेणी में भर्ती, और विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चयन मौजूदा नियमों या सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा, और यदि आगे

विभिन्न के पक्ष में आरक्षण की सीमा को इंगित करता है ऐसे मामले में उम्मीदवारों का चयन तत्कालीन मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए और

सरकारी आदेश। उम्मीदवार जो आवेदन करते हैं, और गुजरते हैं

लिखित या मौखिक परीक्षण होने के लिए निहित अधिकार प्राप्त करता है विज्ञापन में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार चयन के लिए विचार किया जाता है, जब तक कि

विज्ञापन स्वयं एक विपरीत इरादे का संकेत देता है। आम तौर पर, एक उम्मीदवार को विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किए जाने का अधिकार है क्योंकि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख पर उसका अधिकार स्पष्ट हो जाता है।

हालाँकि इस मामले में उनका कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। अगर

भर्ती नियमों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जाता है

चयन की लंबितता, उस घटना में चयन आयोजित किया जाना चाहिए

संशोधित नियमों के अनुसार। नियमों का पूर्वव्यापी प्रभाव है या नहीं, यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि

विधायी आशय का पता लगाने के लिए नियमों की भाषा और इसका निर्माण। विधायी आशय का निर्धारण या तो स्पष्ट प्रावधान द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किया जाता है; यदि

संशोधित नियम पूर्वव्यापी प्रकृति के नहीं हैं, चयन को नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए। जो विज्ञापन की तारीख से लागू थे।

इस प्रश्न का निर्धारण काफी हद तक विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रासंगिक नियमों और आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। ऐसा न हो कि कोई भ्रम हो, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक उम्मीदवार किसी पद के लिए आवेदन करने के बाद

किसी विज्ञापन के लिए चयन का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यदि वह पात्र है और अन्यथा विज्ञापन में निहित प्रासंगिक नियमों और शर्तों के अनुसार योग्य है, तो वह हिमाचल प्रदेश का राज्य होने का निहित अधिकार प्राप्त करता है।

वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

विज्ञापन की तारीख को मौजूद नियमों के अनुसार चयन के लिए माना जाता है। उसे नियमों के संशोधन के उस सीमित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

चयन की लंबितता जब तक कि संशोधित नियम नहीं हैं

प्रकृति में पूर्वव्यापी।

13.2 यह मामला कुछ योग्यताओं को निर्धारित करने वाले विज्ञापन के अनुसार पद पर नियुक्ति से संबंधित है। जिन उम्मीदवारों ने

ऐसी योग्यताओं के आधार पर आवेदन करने वाले को विज्ञापन के आधार पर विचार किए जाने का अधिकार है और नियमों में पूर्वव्यापी संशोधन किए बिना इस तरह के अधिकार को नहीं खोया जा सकता है। इस मामले में शामिल मुद्दा हमारे सामने आने वाले मुद्दे से अलग है। मामला इसमें शामिल मुद्दे पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालता है वर्तमान मामला।

14. राजस्थान राज्य में v. आर. दयाल 3 5,9 मौजूदा रिक्तियों के लिए चयन जिन्हें राजस्थान इंजीनियर सेवा द्वारा भरा जाना था (भवन और सड़क शाखा) नियम 1954 प्रश्नगत था। एक संक्षिप्त आदेश में, रंगैया पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि नियमों के संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियों को रिक्तियों के उत्पन्न होने की तारीख को मौजूद कानून के अनुसार भरा जाना आवश्यक है। यह आयोजित किया गया थाः

8. इसलिए, यह विवाद में नहीं है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अधिकारियों का चयन करते समय, चयन के वर्ष के 1 अप्रैल को मौजूद रिक्तियों के लिए प्रासंगिक कॉलम में निर्दिष्ट पदोन्नति के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन नियमों के बाद से संशोधन
किया गया और संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया और नियम 24-ए का खंड (11-बी) इंगित करता है

कि सरकार या सरकार को विकल्प दिए गए हैं

नियुक्ति प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, नियुक्ति की तारीख को या एक सक्षम अदालत द्वारा निर्देशित कानून के अनुसार मौजूदा चयन सूची को संशोधित करने के लिए, चयन हैः

35 राजस्थान राज्य बनाम। आर. दयाल (1997) 10 एससीसी 419।

संबंधित डी. पी. सी. द्वारा किया जाना आवश्यक है। प्रक्रिया के अनुसार चयन के बाद, संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियों पर की गई नियुक्ति वैध है। लेकिन सवाल यह है कि नियुक्ति के मामले में चयन किया जाएगा या नहीं।

विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि रिक्तियां जो पहले हुई थीं नियमों के संशोधन को नियंत्रित किया जाएगा

मूल नियम और संशोधित नियमों द्वारा नहीं। तदनुसार, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि जो पद नियमों के संशोधन से पहले खाली हो गए थे, वे मूल नियमों द्वारा शासित होंगे न कि संशोधित नियमों द्वारा। एक आवश्यक परिणाम के रूप में,

नियमों के संशोधन के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को कानून के अनुसार भरा जाना आवश्यक है।

उस तारीख को मौजूद जब रिक्तियां उत्पन्न हुईं। निस्संदेह, चयन तब से मौजूद कानून के अनुसार नियमों के संशोधन से पहले किया गया था

प्रत्याशित रिक्तियों को भी लिया जाना चाहिए था

नियमों के नियम 9 के आलोक में विचार। लेकिन संशोधित नियम लागू होने के बाद, आवश्यक रूप से संशोधित नियमों को लागू करने और उन्हें प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। ये दोनों पाठ्यक्रम सरकार या नियुक्ति प्राधिकरण के लिए खुले हैं। , या तो डी. पी. सी. की बैठक होने तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अस्थायी पदोन्नति करने के लिए या नियम 24-ए (11-बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, वे पैनल को संशोधित कर सकते हैं।

पहले से ही नियमों के अनुसार तैयार और बनाते हैं तदनुसार नियुक्तियाँ "।

15.1 बी. एल. गुप्ता बनाम M.C.D.³6, एम. सी. डी. के तहत डी. ई. एस. यू. के सहायक अनटेंट के पद पर नियुक्ति विचाराधीन थी। इन पदों को 1978 में बनाए गए वैधानिक नियमों के अनुसार भरा जाना है, जिसमें परीक्षा का प्रावधान है। 171 उक्त रिक्तियां 1993 में उत्पन्न हुईं। परीक्षा में केवल 79 व्यक्ति उपस्थित हुए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईंगुप्ताव। एम. सी. डी. (1998) 9 एससीसी 223।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

परीक्षा के अनुसार सभी 171 रिक्तियों को भरा जाना है। रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, 1995 में नियमों में संशोधन किया गया था। बशर्ते कि 80 प्रतिशत पदों को पदोन्नति द्वारा और शेष 20 प्रतिशत को परीक्षा द्वारा भरा जाए। उच्च न्यायालय ने इन रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए कहा कि 79 पदों को वैध रूप से भरा गया था और शेष रिक्तियों को संशोधित नियमों के अनुसार भरा जाना था। सवाल यह था कि क्या शेष रिक्तियों को संशोधित नियमों के अनुसार भरा जाना है या अपरिवर्तित नियमों के अनुसार। अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने कहाः

" 9. जब 1978 में वैधानिक नियम बनाए गए थे, तो रिक्तियों को केवल उक्त नियमों के अनुसार ही भरा जाना था। 1995 के नियमों को संभावित माना गया है

उच्च न्यायालय और हमारी राय में यह सही निष्कर्ष था। यह होने के कारण, जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या

1995 से पहले उत्पन्न रिक्तियों को 1995 के नियमों के अनुसार भरा जा सकता है। श्री द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

एन. टी. देवीन कट्टी बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के लिए मेहता। कर्नाटक लोक सेवा आयोग [(1990) 3 एस. सी. सी. 157] उस मामले में वाई. वी. रंगैया बनाम के मामलों में पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद। जे. श्रीनिवास राव [(1983) 3 एससीसी 284], पी. गणेश्वर राव बनाम। ए. पी. राज्य [1988 सप एस. सी. सी. 740] और ए. ए. कैल्टन बनाम। शिक्षा निदेशक [(1983) 3 एस. सी. सी. 33] इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जो रिक्तियां नियमों के संशोधन से पहले हुई थीं, वे पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी न कि संशोधित नियमों द्वारा। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इन निर्णयों का उल्लेख किया है, लेकिन

उन कारणों से जिन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता है

प्रयोज्यता केवल 79 रिक्तियों तक सीमित थी न कि 171 रिक्तियों तक, जो स्वीकार्य रूप से मौजूद थीं। यह सही कानूनी स्थिति होने के कारण,

उच्च न्यायालय को प्रतिवादी को सहायक लेखाकारों के 171 पदों के लिए परिणाम घोषित करने का निर्देश देना चाहिए था और

79 नहीं जो उसने किया था।

10. ..... 1978 के नियम उस तरीके को निर्धारित करते हैं जिसमें पदोन्नति की जा सकती है। नियुक्तियाँ करने से पहले इस तरीके का पालन करना पड़ता है। यदि कोई वैधानिक नियम मौजूद नहीं थे, तो यह संभव हो सकता था, हालांकि हम नहीं व्यक्त करते हैं

इस पर राय, कि मौजूदा अधिकारियों को नियमित किया गया होगा। हालाँकि, जहाँ वैधानिक नियम मौजूद हैं, वहाँ नियुक्तियाँ और पदोन्नति [2022] 15 एस. सी. आर. के अनुसार की जानी चाहिए।

वैधानिक नियमों के साथ विशेष रूप से जहां हमें यह नहीं दिखाया गया है कि नियमों ने नियुक्ति प्राधिकरण को उक्त नियमों में ढील देने की शक्ति दी है। छूट की ऐसी किसी भी शक्ति के अभाव में, सहायक लेखाकार के रूप में नियुक्ति केवल उम्मीदवारों को लेने की आवश्यकता के द्वारा की जा सकती थी

परीक्षा जो वह विधि थी जिसके द्वारा निर्धारित किया गया था

1978 के नियम "।

15.2 इस संक्षिप्त निर्णय में, न्यायालय ने इस आधार पर आगे बढ़ाया कि रंगैया और उसके बाद के निर्णय जैसे एन. टी. देवीन कट्टी

अभिनिर्धारित किया कि संशोधन से पहले होने वाली रिक्तियों को पुराने नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। न तो संवैधानिक स्थिति पर चर्चा हुई है और न ही रोशन लाल टंडन के मामले में निर्धारित सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत का कोई संदर्भ है। यह कहना पर्याप्त है कि न्यायालय ने अपने आदेश में रंगैया का उल्लेख किया है और उनका पालन किया है। यह चौथा मामला है जिसने सिद्धांत की जांच किए बिना केवल रंगैया का पालन किया है।

16.1 अर्जुन सिंह राठौर बनाम। बी. एन. चतुर्वेदी, 37 न्यायालय ने अपने संक्षिप्त आदेश में रंगैया का अनुसरण किया। मामला 1988 के प्रासंगिक नियमों के तहत क्षेत्र प्रबंधक या वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर पदोन्नति से संबंधित है। जबकि 15 रिक्तियां पदोन्नति के लिए उपलब्ध थीं, नियम 1998 में इसमें संशोधन किया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि रिक्तियों को उन रिक्तियों के अनुसार भरा जाना था जो नियमों के संशोधन से पहले मौजूद थीं, जिसके तहत साक्षात्कार और चयन की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी थी। न्यायालय ने रंगैया का अनुसरण किया और कहाः

" 6. उत्तरदाता 6 और 7 के विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त कानूनी स्थिति पर गंभीर रूप से विवाद नहीं किया गया है। इसलिए हमारी राय है कि 1998 के नियमों के प्रवर्तन से पहले जो रिक्तियां थीं, उन्हें 1988 के नियमों के तहत और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाना था

वहाँ नीचे।

16.2 यह केवल रंगैया के बाद के निर्णयों का विस्तृत विश्लेषण और समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए है कि हम प्रत्येक का उल्लेख कर रहे हैं।

इन निर्णयों। हम देखते हैं कि अनुवर्ती मामलों में केवल रंगैया का उल्लेख किया गया है जब न्यायालय ने महसूस किया कि चयन प्रक्रिया उन नियमों के अनुसार होनी चाहिए जो संशोधन से पहले मौजूद थे। इनमें से कोई भी मामला नहीं

37 अर्जुन सिंह राठौर बनाम। बी. एन. चतुर्वेदी, (2007) 11 एससीसी 605।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

किसी निहित अधिकार के अस्तित्व को मान्यता देते हैं, न ही उन्होंने संवैधानिक स्थिति या रोशन लाल टंडन के संविधान में निर्धारित सिद्धांत का उल्लेख किया है।

मामला।

17.1 बिहार राज्य में v. मिथिलेश कुमार, 38 न्यायालय 30.12.2001 पर प्रकाशित एक विज्ञापन के अनुसार प्रशिक्षकों और सहायक प्रशिक्षकों के पदों पर नियुक्ति से संबंधित था। विज्ञापन के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और उसे 09.11.2002 पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इसके बाद, 14.11.2002 पर, निर्देश जारी किए गए कि उक्त पद पर आगे कोई सिफारिश नहीं भेजी जाए क्योंकि जिस योजना के तहत पद पर नियुक्तियों के लिए बुलाया गया था, वह अब वैध नहीं थी। उसमें प्रतिवादी को साक्षात्कार में सफल घोषित किया गया था लेकिन उसे नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए और अपील को खारिज करते हुए, रंगैया के बाद इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 14. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की शर्तें

पटना के कमला नेहरू सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट फॉर हैंडिकैप्ड एंड रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर में सहायक प्रशिक्षक (इलेक्ट्रॉनिक्स) को विकलांग व्यक्तियों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित करने के लिए बाद में लिए गए निर्णय के कारण प्रतिवादी के पूर्वाग्रह में बदला नहीं जा सकता था।

स्थापित गैर सरकारी संगठन/संस्थान। रिलायंस को रखा गया था

वाई. वी. रंगैया बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। जे. श्रीनिवास राव, जहाँ इसी तरह की परिस्थितियों में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जब सेवा नियमों में संशोधन किया जाता है, तो संशोधित नियमों से पहले हुई रिक्तियों को पुराने नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

नियम और संशोधित नियमों द्वारा नहीं।

23. जबकि एक व्यक्ति केवल चयन के आधार पर नियुक्ति का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है, तत्काल मामले में तथ्य की स्थिति अलग है क्योंकि नियुक्त किए जाने वाले प्रतिवादी को एक परिवर्तन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था

चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नीति।

अदालत ने कहा कि विज्ञापन की शर्तें नहीं हो सकती थीं 38 बिहार राज्य बनाम। मिथलेश कुमार (2010) 13 एस. सी. सी. 467।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बाद में लिए गए निर्णय के आधार पर प्रत्यर्थी के पूर्वाग्रह में परिवर्तित। न्यायालय के लिए अपनी सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के संदर्भ में लोक सेवक की स्थिति पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

18. कुलवंत सिंह बनाम। दया राम 3, पंजाब पुलिस नियम, 1934, हेड के पद पर कांस्टेबलों की पदोन्नति से संबंधित है।

सिपाही। 1982 के नियम 13.7 में संशोधन ने अनिवार्य किया कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले कांस्टेबलों को पदोन्नति पाठ्यक्रम में भेजा जाना चाहिए।

वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर। 1982 के नियमों के आधार पर 15 कांस्टेबलों के एक बैच का चयन किया गया था और अप्रैल 1988 में पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया था। इसके बाद, 71 रिक्तियां पैदा हुईं और 1988 में नियम में एक और संशोधन किया गया जिसमें योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर कांस्टेबलों को पदोन्नति पाठ्यक्रम में भेजने का प्रावधान किया गया। यह मुद्दा तब उठा जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस आशय का एक पत्र जारी किया कि उक्त पदोन्नति पर नए नियम लागू होंगे। निर्णय में हस्तक्षेप करना और न्यायाधिकरण के निर्णय को दोहराना जो रंगैया और उसके बाद आया

पैरा 38 से 41 में निर्दिष्ट निर्णयों पर न्यायालय ने कहाः

रंगैया वी। जे. श्रीनिवास राव, (1983) 3 एस. सी. सी. 284], पी. गणेश्वर राव [पी. गणेश्वर राव बनाम। ए. पी. राज्य, 1988 एस. सी. सी. 740] और ए. ए. कैल्टन बनाम। निदेशक

शिक्षा [(1983) 3 एस. सी. सी. 33] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जो रिक्तियां नियमों के संशोधन से पहले हुई थीं, वे पुराने नियमों द्वारा शासित थीं, न कि संशोधित नियमों द्वारा। अर्जुन सिंह राठौर बनाम। बी. एन. चतुर्वेदी, (2007) 11 एस. सी. सी. 605] वाई. वी. रंगैया [वाई. वी. रंगैया बनाम। जे. श्रीनिवास राव, (1983) 3 एससीसी

284] और आर. दयाल [राजस्थान राज्य बनाम। आर. दयाल, (1997)

10 एस. सी. सी. 419] दोहराया गया।

42. कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि न्यायाधिकरण द्वारा अच्छर चंदकेस में दिया गया निर्णय इस न्यायालय की मिसाल के अनुसार था और, वास्तव में न्यायाधिकरण का स्पष्ट रूप से यही मतलब था।

19.1 ऋचा मिश्रा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य, डीएसपी के पद पर नियुक्ति से संबंधित मुद्दा। राज्य सरकार ने भेजा

39 कुलवंत सिंह बनाम। दया राम (2015) 3 एस. सी. सी. 177। 40 ऋचा मिश्रा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य, (2016) 4 एस. सी. सी.

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

2000 के नियमों के अनुसार डीएसपी के पद सहित विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए अनुरोध। इसके बाद, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम, 2005 प्रकाशित किए गए। अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और वह प्रत्येक चरण में अर्हता प्राप्त की। हालाँकि, उनका नाम अभी भी सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि 2000 के नियमों में कहा गया था कि

डी. एस. पी. के पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष थी और वह पहले ही उक्त आयु सीमा को पार कर चुकी थी और इसलिए विचाराधीन पद के लिए अयोग्य थी। विचार के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या 2000 के नियम लागू होंगे या 2005 के नियम। नियुक्ति के लिए मांग की जांच करने के बाद, जो नए नियमों के आने से पहले की गई थी और आगे रंगैया के सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 18. उच्च न्यायालय ने कहा कि डी. एस. पी. के पद पर रिक्त सीटों के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहली और दूसरी आवश्यकताएं 2000 के नियम लागू होने पर की गई थीं। इसलिए, 2000 के नियमों के तहत भर्ती सही तरीके से की गई थी। स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि चयन की प्रक्रिया 2005 के नियमों से पहले शुरू की गई थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा सी. पी. एस. सी. को भेजे गए 27-9-2004 और 26-3-2005 दिनांकित अनुरोधों के साथ जारी किया गया था। उस समय 2000 के नियम प्रचलन में थे। इस कारण से, मांग में भी यह उल्लेख किया गया था कि नियुक्तियां 2000 नियमों के तहत की जानी हैं।

इसके अलावा, यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि जिन रिक्तियों को भरा जाना था, वे 2005 से पहले की अवधि के लिए थे। इन रिक्तियों को उन नियमों के अनुसार भरने की आवश्यकता थी अर्थात 2000 के नियम। यह पेटेंट कानूनी स्थिति है जिसे वाई. वी. रंगैया बनाम से देखा जा सकता है। जे. श्रीनिवास राव [वाई. वी. रंगैया बनाम। जे. श्रीनिवास राव, (1983) 3 एससीसी 284] "।

19.2 जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, यह निर्णय तथ्यों के संदर्भ में और सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की संवैधानिक स्थिति और रोशन लाल टंडन के मामले में निर्धारित सिद्धांत के संदर्भ में भी लागू हुआ।

विश्लेषणः

20.1 पी. गणेश्वर राव के मामले को छोड़कर, जिसने न केवल रंगैया का पालन किया, बल्कि यह भी देखा कि नए नियमों ने सक्षम किया

संशोधन, [2022] 15 एस. सी. आर. से पहले मौजूद नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाना है।

अन्य सभी निर्णयों ने रंगैया के सिद्धांत को अपनाया और निर्देश दिया रिक्तियों के समय मौजूद नियमों के अनुसार नियुक्तियां की जानी चाहिए।

उठ खड़ा हुआ। ये मामले इस तरह के अधिकार के किसी भी स्रोत पर चर्चा नहीं करते हैं

सरकारी कर्मचारी। इस तरह के अधिकार के प्रभाव को सक्षम करने के लिए किसी भी नियम का कोई संदर्भ नहीं है, चाहे वह पुराना हो या नया। इनमें से कोई भी मामला स्थिति की संवैधानिक स्थिति या रोशन लाल टंडन के मामले में निर्धारित सिद्धांत का उल्लेख नहीं करता है।

20.2 अब हम उन मामलों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने रंगैया को अलग किया है। ये निर्णय इस सिद्धांत का पालन नहीं करने के लिए अलग-अलग कारणों को अपनाते हैं।

रंगैया में रखा गया।

जिन निर्णयों ने रंगैया के दायरे को अलग किया हैः

21. भारत संघ में v. एस. एस. उप्पल 1 उसमें प्रत्यर्थी

01.02.1989 में उत्पन्न एक रिक्ति के लिए आईएएस में अवशोषण के लिए विचार किया जा रहा था। भारतीय प्रशासनिक सेवाएँ (वरिष्ठता का विनियमन)

नियम, 1987 को 03.02.1989 पर संशोधित किया गया था। प्रत्यर्थी, जिसे 15.02.1989 पर नियुक्त किया गया था, ने दावा किया कि उसकी वरिष्ठता की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जिस दिन रिक्ति उत्पन्न हुई थी, अर्थात 01.02.1989 और इस उद्देश्य के लिए वह रंगैया में निर्णय पर भरोसा करता था और जिसे न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। न्यायाधिकरण के फैसले को पलटते हुए इस अदालत ने कहा कि रंगैया के पास कोई आवेदन नहीं है। इसके अलावा, शंकरशन दास बनाम में निर्णय पर भरोसा करना। भारत संघ, जिसने यह अभिनिर्धारित किया कि एक रिक्ति का अस्तित्व एक चयनित उम्मीदवार को कानूनी अधिकार को जन्म नहीं देता है, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

प्रभावित हुए।

17. ..... उन्हें वास्तव में 15-2-1989 पर सेवा में शामिल किया गया था। वरिष्ठता के निर्धारण के लिए उस दिन जो नियम लागू थे, वे उनके मामले में स्पष्ट रूप से लागू होंगे। यह सच है कि उप्पल का नाम अगस्त में किसी समय तैयार किए गए पैनल में शामिल किया गया था

41 भारत संघ बनाम। एस. एस. उप्पल (1996) 2 एस. सी. सी 168। 42 शंकरशन दास बनाम। भारत संघ (1991) 3 एस. सी. सी. 47.

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

1988. लेकिन पैनल में उनका नाम शामिल करने से उन्हें आई. ए. एस. में स्वतः नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिला। न ही यह कहा जा सकता है कि उन्हें उस तारीख से नियुक्त किया गया था जब एक उपयुक्त पद खाली हो गया था। ..... आई. ए. एस. में नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता है आई. ए. एस. में नियुक्ति की तारीख पर लागू वरिष्ठता नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। वरिष्ठता में महत्व को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया हो।

भौतिक समय पर लागू नियम में "।

22. भारतीय स्टेट बैंक बनाम काशीनाथ खेर 43 फिर से एक मामला है।

जहाँ कर्मचारी ने यह तर्क देने के लिए रंगैया के सिद्धांत पर भरोसा किया कि मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-II के पद पर पदोन्नति होनी है

1990 से लागू हुई नई नीति को लागू किए बिना 1988,1989 और 1990 में उत्पन्न रिक्तियों के आधार पर बनाया गया। सबसे पहले

यह भारतीय स्टेट बैंक के तहत सेवा से जुड़ा मामला है, जो अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए कानूनों या नियमों द्वारा शासित राज्य के तहत सेवा नहीं है। हालाँकि, जैसा कि हम रंगैया में निर्धारित सिद्धांत और उसके बाद आने वाले और असहमत होने वाले निर्णयों पर भी विचार कर रहे हैं, हमने इस मामले की जांच की है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि विद्वान न्यायाधीशों ने यह मान लिया कि रंगैया के मामले को "नियमों से पहले मौजूद रिक्तियों पर नियम के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग" का प्रश्न माना जाता है। वास्तव में, रंगैया ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं और हम इसे इस पर छोड़ देंगे। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 14. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का यह तर्क देना सही नहीं है कि रिक्तियां 1988,1989 और 1990 में उत्पन्न हुई हैं और 1988,1989 और 1990 में उत्पन्न रिक्तियों को 1990 में छूट का नियम नहीं दिया जा सकता है और उन नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है जो प्रचलित हैं जब

रिक्तियां पैदा हो गई थीं। यह देखा गया है कि नीति निर्णय पहली बार 21-3-1990 पर लिया गया था जो 1-8-1988 से प्रभावी था। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति को भरने के निर्णय के आलोक में पूर्वव्यापी रूप से विचार करने की आवश्यकता है

अगस्त 1988 तक मौजूद रिक्तियां। इसलिए, यह उस नियम को लागू करने का मामला नहीं है जिसे बाद में उस रिक्ति पर लागू किया गया था जो पहले से मौजूद थी। समान रूप से, यह कहना सही नहीं है कि यह सिद्धांत एक अन्यायपूर्ण सिद्धांत है। यह सच है कि यह न्यायालय वाई. वी. रंगैया बनाम. जे. श्रीनिवास राव [(1983) 3

43 भारतीय स्टेट बैंक बनाम काशीनाथ खेर (1996) 8 एससीसी 762।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. सी. 284] ने पूर्वव्यापी प्रश्न पर विचार किया था

निर्णय के पैराग्राफ 7 और 8 में नियमों से पहले मौजूद रिक्तियों पर नियम का अनुप्रयोग। लेकिन उस मामले में, यह नियम आंध्र प्रदेश के पंजीकरण विभाग में उप-पंजीयक ग्रेड II के लिए प्रचलित था। लेकिन कोई सूची तैयार नहीं की गई, मौजूदा नियमों के अनुसार पदोन्नति नहीं की गई। योग्य उम्मीदवारों की सूची संविधान के अनुच्छेद 371-डी और राष्ट्रपति के आदेश के तहत आंध्र प्रदेश में शुरू की गई क्षेत्रीय प्रणाली के परिणामस्वरूप संशोधित नियमों के अनुसार तैयार की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियमों में संशोधन करने से पहले जो रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं, उन्हें संशोधन से पहले प्रचलित नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए और बाद में जो रिक्तियां उत्पन्न हुईं, उन्हें संशोधित नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए। वह स्थिति तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लागू नहीं होती है।

23.1 K.Ramuluv। एस. सूर्यप्रकाश राव 4, एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ए. पी. पशुपालन सेवाओं की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दा

सहायक निदेशक के पदोन्नति पद में 1996 के संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों के लिए नियम, 1996 (जिसने मौजूदा 1977 के नियमों को निरस्त कर दिया)। नियम 4 के तहत, सरकार को तैयार करना और संचालित करना था

उक्त पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 1995-96 के लिए पैनल। हालाँकि, सरकार द्वारा 1988 में एक सचेत निर्णय लिया गया था कि जब तक निरस्त नियमों में विधिवत संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी रिक्त स्थान को नहीं भरा जाएगा। इसके आलोक में, सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए सहायक पशु चिकित्सा सर्जन से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल को तैयार और अंतिम रूप नहीं दिया। यह माना गया था किः

" 12. ..... लेकिन सवाल यह है कि क्या रंगैया मामले में अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू होगा। सरकार ने इसमें केवल नियमों में संशोधन किया, मौजूदा नियमों को नहीं भरने का कोई सचेत निर्णय लिए बिना संशोधित नियमों को लागू किया।

नए नियम लागू होने की तारीख से नियमों में संशोधन लंबित है। यह सच है, जैसा कि श्री एच. एस. गुरुराजा राव ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में अनुपात का पालन किया है और उनके द्वारा उद्धृत किए गए पी. गणेश्वर राव बनाम हैं। ए. पी. राज्य, पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य, ए. ए. कैल्टन बनाम। शिक्षा निदेशक, एन. टी. देवीन कट्टी बनाम। कर्नाटक लोक सेवा आयोग, रमेश कुमार

44 के. रामुलु बनाम एस. सूर्यप्रकाश राव (1997) 3 एससीसी 59।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

चौधा बनाम। एम. पी. की स्थिति इनमें से किसी भी निर्णय में ऐसी स्थिति सामने नहीं आई थी जो वर्तमान मामले में उत्पन्न हुई हो।

विचार के लिए।

13. यह देखा गया है कि चूंकि सरकार ने नियमों के संशोधन तक कोई नियुक्ति नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया है, इसलिए सामान्य नियमों के नियम 3 से प्रतिवादी को कोई मदद नहीं मिलती है।

.....

15. इस प्रकार, हम मानते हैं कि पहले उत्तरदाता ने अधिग्रहण नहीं किया है पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार

सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए निरस्त नियमों के अनुसार जो हमें लगता है कि हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड से उपलब्ध सामग्री पर उचित है। हम मानते हैं कि न्यायाधिकरण निर्देश देने में सही और सही नहीं था

पैनल को तैयार करने और संचालित करने के लिए सरकार

पशु सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति

निरस्त नियमों के अनुसार पशुपालन विभाग

और उसी तरह काम करने के लिए।

23.2 यह निर्णय स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि जनहित में सरकार द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय सर्वोपरि होगा।

रिक्तियों को भरने का कोई भी दावा। इसके अलावा, जब ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो कर्मचारी को निरस्त नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं होता है।

24.1 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम। नियम, 1986 के तहत सहायक निदेशक (कनिष्ठ) के 23 पदों पर सीधी भर्ती के लिए चानन रामास का विज्ञापन 05.11.1993 पर जारी किया गया था। उसमें प्रत्यर्थी ने उक्त विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया। इसके अलावा, इस विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.1993 थी। हालांकि, आवेदनों की अंतिम तिथि से तीन दिन पहले 28.12.1993 पर, राज्य सरकार ने आरपीएससी को आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा।

भर्तियाँ। इसके बाद, 19.04.1995 पर, नियमों में संशोधन किया गया और परिणामस्वरूप, उपरोक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। संशोधन का एक अन्य परिणाम यह था कि सहायक निदेशक (कनिष्ठ) के पद को समाप्त कर दिया गया और विपणन अधिकारी के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया। विपणन अधिकारी के 26 पदों के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया और

45 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम। चानन राम, (1998) 4 एस. सी. सी. 202। 46 राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियम, 1986।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23 जिन पदों के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था, उन्हें आगे बढ़ाया गया। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक तर्क दिया कि भर्ती रंगैया और उसके बाद के मामलों पर निर्णय पर भरोसा करके रिक्तियों के समय मौजूद नियमों पर आधारित होनी चाहिए। तर्क को खारिज करते हुए और अपील को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने कहाः

" 15 ..... इसके विपरीत जय सिंह दलाल बनाम के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। हरियाणा राज्य वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से आकर्षित होगा। ए. एम. जे. अहमदी, के पैरा 7 में तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए

हरियाणा राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए रिपोर्ट। सुभाष चंदर मारवाह का निधन

जब भर्ती की विशेष प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और चयन सूची में समाप्त हो गया था, तो उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में यह देखा गया कि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति से पहले सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय रोका जा सकता है। एक उम्मीदवार को प्रक्रिया को पूरा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है और अधिक से अधिक सरकार को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की आवश्यकता हो सकती है।

16.वर्तमान मामले के तथ्यों में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान राज्य की कार्रवाई किसी भी तरह से थी।

पहले की भर्ती प्रक्रिया को रोकने में मनमाना

दिनांक 05-11-1993 अनुलग्नक पी-1 के पहले विज्ञापन के अनुसार क्योंकि नियमों में स्वयं संशोधन किया गया था और पद

पहले विज्ञापित का अस्तित्व समाप्त हो गया था।

यह सिद्धांत कि राज्य को नियुक्ति होने से पहले किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को रोकने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया को पूरा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। यह इस कारण से महत्वपूर्ण है कि जबकि यह मानता है कि एक कर्मचारी का कोई अधिकार नहीं है, यह मान्यता देता है संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने का राज्य का दायित्व।

25.1 जी. वेंकटेश्वर राव बनाम। भारत संघ उसमें अपीलार्थी को उत्पन्न हुई रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा अपेक्षित नियुक्ति

47 जी. वेंकटेश्वर राव बनाम भारत संघ (1999) 8 एससीसी 455।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

1991 में, पैनल में अगले उम्मीदवार होने के नाते। हालाँकि, प्रस्ताव 1993 तक लंबित रहा और इस बीच कैडर पुनर्गठन में

यह हुआ और जिसके परिणामस्वरूप एक और उम्मीदवार नियुक्त होने के योग्य बन गया। रंगैया पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि रिक्तियों को पुनर्गठन से पहले मौजूद नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए। तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 4 ..... इस अपील के समर्थन में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

उन्हीं दलीलों को दोहराया और आग्रह किया कि कैट, हैदराबाद द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। पहले विवाद पर विचार करते हुए, उन्होंने आग्रह किया कि यदि रेलवे बोर्ड जल्द से जल्द निर्णय लेता है, तो अपीलार्थी को ऐसी आरक्षित रिक्ति पर समायोजित किया जा सकता था। उन्होंने आग्रह किया कि अवमूल्यन का निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं थी और यह केवल रेलवे बोर्ड की ओर से एक निष्क्रियता थी जिसने आरक्षण से वंचित कर दिया था।

रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त होने का अपीलार्थी। हम इस विवाद में कोई सार नहीं रखते हैं क्योंकि अभिलेख से हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है जो इस विवाद को उचित ठहराए। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने वाई. वी. रंगैया बनाम में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। जे.

श्रीनिवास राव [(1983) 3 एससीसी 284: 1983 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 382] और विशेष रूप से, उन्होंने पैरा 4 और 9 पर भरोसा किया। हमारे पास है।

विवाद "। 25.2
इस न्यायालय ने रंगैया के सिद्धांत को अलग करते हुए

एक अन्य कारक को मान्यता दी जिसके आधार पर सरकार ने

पुराने नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में उल्लिखित कारण संवर्ग का पुनर्गठन है। इस तर्क को बरकरार रखते हुए कि इकाई के कुशल संचालन के लिए पुनर्गठन किया जाता है, इस न्यायालय ने रंगैया के सिद्धांत के अनुसार रिक्तियों को नहीं भरने के सरकार के फैसले को उचित ठहराया।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26.1 दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम। दिल्ली हाई

न्यायालय, 48 न्यायालय ने इस मुद्दे को इस प्रकार तैयार किया, "बार में किए गए प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए, पहला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह है -

क्या अस्थायी पद नियमों के संशोधन से पहले बनाए गए थे, क्या यह कानून है जो उन पदों को केवल अपरिवर्तित नियमों के अनुसार भरने की आवश्यकता रखता है और नहीं

अन्यथा? " विवाद को खारिज करते हुए और मामले के तथ्यों पर रंगैया को अलग करते हुए, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 5 ..... रंगैया मामले में [(1983) 3 एस. सी. सी. 284] इस न्यायालय ने प्रासंगिक नियमों के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया कि अनुमोदित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करने की आवश्यकता है।

उप-पंजीयक ग्रेड II के ग्रेड में स्थानांतरण द्वारा नियुक्तियां करना, लेकिन ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई थी और इसके बजाय, 1977 में तैयार की गई थी, जब तक कि संशोधित नियम लागू हो गए थे, यह माना गया था कि उन लोगों के वैध अधिकार और अपेक्षाएं जो सूची में शामिल होने के हकदार थे, जिन्हें सितंबर 1976 में तैयार किया जाना चाहिए था, इस तथ्य के कारण निराश नहीं किया जा सकता है कि पैनल तैयार नहीं किया गया था और इसे केवल वर्ष 1977 में ही तैयार किया गया था। इस निष्कर्ष पर,

अदालत ने कहा था कि 1-9-1976 से पहले उपलब्ध रिक्तियों को अपरिवर्तित नियमों के तहत भरा जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय का मामले में कोई आवेदन नहीं होगा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में किसी विशेष तिथि तक पदोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवारों के किसी भी पैनल या सूची को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से, सिर्फ इसलिए कि नियम 16 के तहत पद बनाए गए थे, नियुक्ति प्राधिकरण के लिए उन पदों को तुरंत भरना अनिवार्य नहीं था।

रिक्तियां नियमों के संशोधन से पहले बनाई गई थीं, अधिकारियों पर उन रिक्तियों को तुरंत भरने का कोई दायित्व नहीं है। इस निर्णय ने रंगैया के सिद्धांत में सीधा प्रवेश किया। 27.1 श्यामा चरण में दास बनाम। उड़ीसा राज्य 49 में अपीलार्थी खंड स्तर के विस्तार अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था जो एक

48 दिल्ली न्यायिक सेवा संघ। वी. दिल्ली उच्च न्यायालय (2001) 5 एस. सी. सी. 145। 4 9 श्यामा चरण दास बनाम। उड़ीसा राज्य (2003) 4 एस. सी. सी. 218।

हिमाचल प्रदेश और ओ. आर. एस. का भोजन। वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

उप-सहायक पंजीयक के पद के लिए श्रेणी। जबकि वह

उप-पंजीयक के पद पर रिक्तियों पर नियुक्त होने के लिए, 1991 में संशोधन किया गया जिससे उनकी नियुक्ति की संभावना कम हो गई। रंगैया पर उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन से पहले उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को पहले से मौजूद नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए।

डिमेंट। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" 5. इस स्तर पर कुछ का संदर्भ देना उचित है

विद्वान परामर्शदाता द्वारा दोनों में से किसी एक पर निर्भर निर्णय

एक तरफ। वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव [(1983) 3 एससीसी 284]

एक ऐसा मामला होने के नाते जहां न केवल तैयारी करने में चूक थी पदोन्नति पैनल समय पर नियमों के अनुसार तब लागू होता है लेकिन

मूल प्रावधान के साथ संशोधित नियम

उनकी प्रचार संभावनाओं को प्रभावित करते हुए, इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है हाथ में मामला।

.....

9. ..... जब तक आई. पी. ओ. को एक वर्ग या श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

1986 से भी पात्र है और जिसे चुनौती नहीं दी गई है, अंतर, यदि कोई हो, मौजूदा और वेतनमान के आधार पर

उनमें से, जब समाप्त करने का संकल्प लिया जाता है

राज्य द्वारा अपनी शक्ति का निस्संदेह प्रयोग,

नीति, जिसे अपीलकर्ता द्वारा वैध रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है

केवल इसलिए कि क्षितिज के विस्तार के कारण इसके परिणामस्वरूप विचार, विचार की संभावनाएँ

औद्योगिक पर्यवेक्षकों को बढ़ावा देना कम हो जाता है।

जिन कारणों से राज्य सरकार प्रभावित हुई

ऐसा करने पर, वे वास्तविक, वास्तविक और मौलिक पाए जाते हैं और नियमों के नियम 7 के प्रयोजनों के लिए समान पदों की सभी श्रेणियों या श्रेणियों के साथ पर्याप्त न्याय करने के लिए होते हैं। तथ्य यह है

कि विभिन्न कार्यवाहियों में जहां समान पैमाने के लिए दावा किया जाता है सरकार द्वारा चुनौती दिए जाने या न्यायाधिकरण द्वारा खारिज किए जाने वाले वेतन का, इन कार्यवाहियों में अपीलार्थियों के दावे

को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ऐसे दावों से निपटने में लागू किए जाने वाले मानदंड पूरी तरह से अलग हैं या, किसी भी दर पर, संतुष्ट की जाने वाली कई आवश्यकताओं में से केवल एक हो सकता है। नतीजतन, अपीलार्थियों की ओर से चुनौती की कोई योग्यता नहीं है और यह खारिज हो जाएगी। "[2022] 15 एस. सी. आर.

27.2 यह फिर से एक ऐसा मामला है जहां अदालत ने पुराने नियमों के अनुसार रिक्तियों को नहीं भरने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। द.

सरकार के निर्णय को बरकरार रखा गया क्योंकि न्यायालय ने पाया कि नीतिगत निर्णय वास्तविक, वास्तविक और मूल है और इसका उद्देश्य नियम 7 के उद्देश्य के लिए समान पदों की सभी श्रेणियों या श्रेणियों के लिए पर्याप्त न्याय करना है। इन निर्णयों से पता चलता है कि इस न्यायालय ने रंगैया के मामले में इस सिद्धांत को कभी लागू नहीं किया, जब सरकार के नीतिगत निर्णय के लिए एक उचित कारण के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता थी।

28.1 पंजाब राज्य में v. अरुण कुमार अग्रवाल, 50 मामले में दूसरा अंक "चाहे पुराना 1941 नियम हो या नया 2004

09.07.2004 से प्रभावी हुए नियमों को राज्य में एसडीओ के पद पर पदोन्नति के लिए पुराने 2001 के नियमों के तहत 2000-2001 के दौरान उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए लागू किया जाएगा।

पंजाब "। इसमें उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि उनके पास एक

रंगैया मामले में निर्णय के अनुसार एसडीओ के पद पर पदोन्नत होने का अक्षम्य अधिकार। तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 30. कानून के इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि सामान्य नियम यह है कि नए नियमों से पहले की रिक्ति होगी

35. ऊपर उल्लिखित सभी निर्णय नियमों के संशोधन से संबंधित हैं। हम पहले ही मान चुके हैं कि 1941 के नियमों को 2004 के नियमों द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अतः उन मामलों के तथ्य वर्तमान के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। मामला।

38. हमारा मानना है कि सरकार ने एक सचेत कदम उठाया है

1941 के पुराने नियमों के तहत पदों को नहीं भरने का निर्णय। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। हम इस स्तर पर इंगित कर सकते हैं कि समस्या प्रतीत होती है

की निष्क्रियता/आकस्मिक दृष्टिकोण से यौगिक

50 पंजाब राज्य बनाम। अरुण कुमार अग्रवाल (2007) 10 एससीसी 402।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

सरकार जनहित के लिए हानिकारक है। राज्य

सरकार अब आज से तीन महीने की अवधि के भीतर 2004 के नियमों के अनुसार रिक्त पदों को भरेगी।

2004 के नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। सिफारिश और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया इसके भीतर पूरी की जाएगी।

आज से तीन महीने बाद। "

28.2 यह एक और मामला है जिसमें रंगैया के सिद्धांत से भटकते हुए इस न्यायालय ने पुराने नियमों के अनुसार संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों को नहीं भरने के सरकार के फैसले को मान्यता दी क्योंकि सरकार का एक सचेत निर्णय है।

29.1 दीपक अग्रवाल बनाम। U.P.5[1] की स्थिति में, यह प्रश्न उठा कि क्या उसमें अपीलार्थी विचार किए जाने के हकदार थे

यू. पी. के अधीन उप आबकारी आयुक्त के पद पर पदोन्नति।

आबकारी समूह 'ए' सेवा नियम, 1983। प्रार्थना उन रिक्तियों पर विचार करने के लिए थी जो 1999 के नियमों के संशोधन से पहले हुई थीं। रंगैया पर निर्भरता रखी गई जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अदालत ने

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 24. हमारी सुविचारित राय है कि वाई. वी. रंगैया मामले में निर्णय तथ्यों में लागू नहीं होगा और

इस मामले की परिस्थितियाँ। उपरोक्त निर्णय था आंध्र प्रदेश पंजीकरण और अधीनस्थ सेवा नियम, 1976 के नियम 4 (ए) (1) (आई) की व्याख्या पर प्रस्तुत।

उपरोक्त नियम के लिए एक पैनल तैयार करने का प्रावधान किया गया था

पात्र उम्मीदवार हर साल सितंबर के महीने में। यह राज्य पर डाला गया एक वैधानिक कर्तव्य था। अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाना आवश्यक था। इसके बाद, केवल पदोन्नति आदेश जारी किए जाने थे। हालांकि, वर्ष 1976 के लिए कोई पैनल तैयार नहीं किया गया था। इसके बाद, नियम में संशोधन किया गया, जिसने याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इन परिस्थितियों में यह

इस न्यायालय ने कहा कि संशोधन नहीं होगा

उन रिक्तियों पर लागू जो पहले उत्पन्न हुई थीं

संशोधन। रिक्तियां जो पहले हुई थीं

संशोधित नियम पुराने नियमों द्वारा शासित होंगे और नहीं

संशोधित नियम।

दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 725।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. वर्तमान मामले में कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है।

उत्तरदाताओं को या तो योग्य उम्मीदवारों का या पदोन्नति के लिए चयनित उम्मीदवारों का वर्षवार पैनल तैयार करना होगा। वास्तव में, नियम 2 का प्रावधान राज्य को किसी भी पद को खाली रखने में सक्षम बनाता है। इसलिए, स्पष्ट रूप से ऐसा कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है जिसे लागू नियमों के तहत करने के लिए राज्य को अनिवार्य किया जा सके। एक वर्ष में रिक्तियों की पहचान करने या नियम 7 के तहत कितने पदों को भरा जाना है, इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता को जारी नहीं करने के बराबर नहीं माना जा सकता है।

विधिवत चयनित उम्मीदवारों को पदोन्नति आदेश

पदोन्नति। हमारी राय में, अपीलकर्ताओं ने पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था। इसलिए, डॉ. राजीव धवन की प्रस्तुतियों को स्वीकार करना मुश्किल है कि 17-5-1999 से पहले उत्पन्न रिक्तियों को अपरिवर्तित नियमों के तहत भरा जाना था।

26. यह अब तक कानून का एक तय प्रस्ताव है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि विचार होने की तारीख को "लागू नियम"। सार्वभौमिक या निरपेक्ष का कोई नियम नहीं है।

आवेदन कि रिक्तियों को रिक्तता उत्पन्न होने की तारीख को मौजूद कानून द्वारा हमेशा भरा जाना है। पुराने नियमों के तहत पुरानी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता उम्मीदवार के अधिकार प्राप्त करने के साथ जुड़ी हुई है

पदोन्नति के लिए विचार किया गया। पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार योग्य उम्मीदवारों के विचार की तारीख को प्राप्त होता है। जब तक, निश्चित रूप से, लागू नियम, जैसा कि

रंगैया मामला किसी विशेष समय-सीमा को निर्धारित करता है, जिसके भीतर चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। वर्तमान में

मामले में, संशोधन लागू होने के बाद पदोन्नति के लिए विचार किया गया। इस प्रकार, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संशोधन द्वारा अपीलार्थियों के किसी भी अर्जित या निहित अधिकार को छीन लिया गया है।

28. हमारी राय में, यह मामला डॉ. के. रामुलु में इस न्यायालय के फैसले के अनुपात द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत सभी निर्णयों पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया

कि रंगैया का मामला हिमाचल प्रदेश के तथ्यों और राज्यों में लागू नहीं होगा।

वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

संबंधित तिथि पर मौजूदा रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय। यह भी माना गया कि जब सरकार सचेत निर्णय लेती है और नियमों में संशोधन करती है, तो पदोन्नति उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार की जानी चाहिए जब विचार
किया जाता है "।

29.2 यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो अंतर के कई बिंदुओं को पहचानता है। (क) न्यायालय ने पाया कि कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है

30.1 एम. आई. कुंजुकुंजू बनाम केरल राज्य 3 2, अपीलार्थी द्वारा औद्योगिक विस्तार अधिकारी के पद पर किए गए दावे से संबंधित है। इस मामले में कि चयन प्रक्रिया 25.06.1992 पर शुरू हुई जब आयोग ने आवेदन आमंत्रित किए और औद्योगिक विस्तार के पद के लिए नियुक्ति और योग्यता की विधि निर्धारित की अधिकारीगण। यह तर्क दिया गया कि 2001 में जारी किए गए नए नियमों का निहित अधिकार को छीनने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। निहित अधिकार तर्क पर विस्तार से विचार किया गया और अदालत ने इसे खारिज कर दिया

इस आधार पर कि कोई निहित अधिकार मौजूद नहीं है और निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

" 19. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक उम्मीदवार एक विज्ञापन के अनुसार पद के लिए आवेदन करता है

चयन के लिए कोई निहित अधिकार प्राप्त न करें। यदि वह पात्र है और प्रासंगिक नियमों के अनुसार अन्यथा योग्य है, तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त करता है। 22. वर्तमान
मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम नहीं बनाए गए हैं। विधायिका ने शक्ति का प्रयोग करते हुए 1968 का अधिनियम बनाया है।

52 एम. आई. कुंजुकुंजू बनाम केरल राज्य (2015) 11 एससीसी 440।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदान किया गया। 1968 के अधिनियम के तहत, राज्य सरकार को नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की स्थिति को विनियमित करने के लिए संभावित या पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने का अधिकार था केरल राज्य के उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ सार्वजनिक सेवाओं और पदों के लिए।

23. 1968 के अधिनियम के तहत राज्य को विधायिका की शक्ति के इस तरह के प्रत्यायोजन को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विशेष नियम पूर्वव्यापी प्रभाव देते हैं।

इसे अवैध या अमान्य नहीं माना जा सकता है।

26. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं को पुराने सरकारी आदेश से कोई लाभ नहीं हुआ है जो विज्ञापन के समय लागू था। इसलिए हम मानते हैं कि अपीलार्थियों को अर्जित कोई भी निहित अधिकार या लाभ विशेष अधिनियम के नियम 1 के उप-नियम (2) द्वारा नहीं लिया गया है।

नियम "।

30.2 यह एक ऐसा मामला है जहां सरकार ने नियम बनाए जो स्पष्ट रूप से उन तथ्यों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं जो पहले और बाद में मौजूद थे। संशोधन। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियमों के प्रारंभ से पहले मौजूद रिक्तियों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

31.1 त्रिपुरा राज्य में v. निखिल रंजन चक्रवर्ती, 5 3 न्यायालय ने इस निवेदन पर विचार किया कि अनुसूची IV के 'समूह ए' और 'समूह बी' में अतिरिक्त पदों पर केवल उन नियमों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए जो 24.12.2011 पर संशोधन से पहले मौजूद थे। न्यायालय को दीपक अग्रवाल (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय को तुरंत लागू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, जो रंगैया को निम्नानुसार अभिनिर्धारित करने के लिए अलग करता हैः -

" 9. इस प्रकार कानून स्पष्ट है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है, अर्थात्, "उस तारीख को लागू नियम" जिस पर विचार किया जाता है और

पूर्ण आवेदन का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को हमेशा उस तारीख को मौजूद कानून द्वारा भरा जाना चाहिए जब वे उत्पन्न हुए थे। जहां तक दीपक अग्रवाल के मामले में विचार किए जाने वाले अवसर के पूर्ण बहिष्कार और पूर्ण अभाव के मामले की बात है, तत्काल मामले में कुछ अतिरिक्त पदों को हटा दिया गया है।

53 त्रिपुरा राज्य बनाम। निखिल रंजन चक्रवर्ती (2017) 3 एससीसी 646।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार

& ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

फीडर संवर्ग में शामिल किया जाता है, जिससे विचार क्षेत्र का विस्तार होता है। ऐसा नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के उम्मीदवारों को पूरी तरह से बाहर रखा गया था। सबसे अच्छा, उन्हें अब कुछ और उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। किसी भी मामले में, चूंकि कोई उपार्जित अधिकार नहीं था और न ही कोई अधिदेश था कि रिक्तियों को रिक्तता उत्पन्न होने की तारीख पर मौजूद कानून द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए, इसलिए राज्य को यह निर्धारित करने का अधिकार था कि रिक्तियों को संशोधित नियमों के अनुसार भरा जाए। दूसरा, संशोधन की प्रक्रिया

नियम भी अधिसूचना की तारीख से काफी पहले शुरू हो गए थे

24-11-2011 .

10. हमारे विचार में, तत्काल मामला पूरी तरह से दीपक अग्रवाल में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा कवर किया गया है और उच्च न्यायालय रिट याचिका को अनुमति देने और रिट अपीलों को खारिज करने में पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था। इसलिए हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, अपील के तहत फैसले को दरकिनार करते हैं और रिट याचिकाओं (दीवानी) संख्या को खारिज करते हैं। 104 , 105 , 106 , 153 और 181 का 2012. "

31.2 न्यायालय ने दोहराया कि पूर्ण आवेदन का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को उनके उत्पन्न होने की तारीख पर मौजूद कानून के अनुसार भरा जाना चाहिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न तो कोई उपार्जित अधिकार है और न ही नियमों के तहत मौजूद कानून के अनुसार रिक्तियों को भरने का कोई आदेश है। न्यायालय ने संशोधित नियमों के अनुसार रिक्तियों को निर्धारित करने के सरकार के अधिकार को मान्यता दी।

32.1 2019 तक जिस परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय ने रंगैया में निर्णय पर विचार किया है, वह स्पष्ट था। इस समय तक, न्यायालय ने इस सिद्धांत के कई अपवादों को मान्यता दी। भारत संघ में v. कृष्ण कुमार 54, इस न्यायालय ने नोट किया कि, "वाई. वी. रंगैया बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। जे. श्रीनिवास राव को बाद के निर्णयों में एक ऐसे मामले के रूप में माना गया है जहां लागू नियम के लिए प्रक्रिया की आवश्यकता थी।

पदोन्नति या चयन एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना। यह मामला 2011 में असम राइफल्स की संरचना में किए गए परिवर्तनों से पहले हुई रिक्तियों के लिए नायब सूबेदार के पद के लिए विचार किए जाने के लिए हवलदारों द्वारा किए गए दावे से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और आवेदकों को पूर्व-संशोधित नियमों के अनुसार पदों के लिए विचार करने का निर्देश दिया। अपील को अनुमति देते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

54 भारत संघ बनाम। कृष्ण कुमार (2019) 4 एससीसी 319।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह अच्छी तरह से तय है कि पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए एक अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए।

उन नियमों के अनुसार जो उस तारीख को लागू होते हैं जिस दिन पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इस आशय के सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उस कानून के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उस तारीख को मौजूद था जब वे उत्पन्न हुए थे। वाई. वी. रंगैया बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। जे. श्रीनिवास राव [वाई. वी. रंगैया]

एक निर्धारित समय सीमा के भीतर। इसलिए, यह एच. एस. ग्रेवाल बनाम में आयोजित किया गया है। भारत संघ [एच. एस. ग्रेवाल बनाम। भारत संघ, (1997) 11 एससीसी 758: 1998 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 420] कि एक मध्यवर्ती पद का निर्माण एक हस्तक्षेप के बराबर नहीं होगा

पदोन्नति के निहित अधिकार के साथ।

.....

13. कानून के इस कथन को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि एक बार असम राइफल्स की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

वारंट अधिकारी के मध्यवर्ती पद के निर्माण, हवलदार के पद पर बैठे व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा।

वारंट अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए। वारंट अधिकारी का मध्यवर्ती पद इसके परिणामस्वरूप बनाया गया था

पुनर्गठन अभ्यास। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी कि भर्ती नियमों के संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उन नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो रिक्तियों के होने के समय मौजूद थे। जैसा कि तय किए गए मामलों में उल्लेख किया गया है

अभ्यास कर रहे थे और हवलदार के पद पर आसीन थे, उन्होंने नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति का एक निहित अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह कानून में सही स्थिति को नहीं दर्शाता है। नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए अधिकार पर विचार किया जाना है वे तब मौजूद होते हैं जब पदोन्नति के लिए अभ्यास किया जाता है। "

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

32.2 यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कि इस प्रभाव के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से आधार पर भरा जाना चाहिए कानून जो उस तारीख को मौजूद था जब वे उत्पन्न हुए थे, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिकारों पर नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे तब मौजूद होते हैं जब पदोन्नति के लिए अभ्यास किया जाता है।

33.1 उड़ीसा राज्य में v. धीरेंद्र सुंदर दास 55, न्यायालय उड़ीसा प्रशासनिक में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से संबंधित था

सेवा, द्वितीय श्रेणी संवर्ग। कर्मचारियों ने तर्क दिया कि ओएएस वर्ग II

ओ. ए. एस. वर्ग II, विनियम, 1978 के साथ पठित नियम, 1978 उस समय लागू थे जब राज्य ने 28.4.2008 पर 150 ओ. ए. एस. वर्ग II पदों को भरने का निर्णय लिया था। यह उनका तर्क था कि बाद में पुनर्गठन 1978 के नियमों के अनुसार 150 पदों के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए रंगैया पर निर्भरता रखी गई थी। इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील को स्वीकार कर लियाः

9.15 . इसी तरह की दलील को इस अदालत ने दीपक अग्रवाल बनाम मामले में खारिज कर दिया था। यू. पी. राज्य [दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 725: (2011) 2 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 175]। 10. उपरोक्त आधारों पर, हम मानते हैं कि खंड पीठ के फैसले को दरकिनार किया जा सकता है क्योंकि चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के पास कोई निहित या फलदायी अधिकार नहीं था -

ओ. ए. एस. वर्ग II पदों पर पदोन्नति जो इस दौरान उत्पन्न हुई थी

भर्ती वर्ष 2008। चुनाव लड़ने वालों के नाम

उत्तरदाताओं को केवल विचार के लिए अनुशंसित किया गया था। इस बीच, 2009 में राज्य ने संवर्ग का पुनर्गठन किया था और ओएएस वर्ग II संवर्ग को समाप्त कर दिया था। पुनर्गठित संवर्ग अर्थात। उड़ीसा राजस्व सेवा समूह 'बी' संवर्ग इसके स्थान पर आया। इसलिए, डिवीजन बेंच का उन रिक्तियों में चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं को नियुक्त करने का निर्देश जो

के अनुसार, समाप्त कैडर में हुआ निरस्त 1978 नियम, कानून के विपरीत था, और होने के लिए उत्तरदायी था

एक तरफ रख दें "।

55 उड़ीसा राज्य बनाम। धीरेंद्र सुंदर दास (2019) 6 एस. सी. सी. 270।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33.2 दीपक अग्रवाल बनाम में अपनाई गई पंक्ति का अनुसरण करते हुए। यू. पी. राज्य (ऊपर) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसमें प्रत्यर्थियों को निहित और फलदायी अधिकार नहीं है और इसलिए अभिनिर्धारित किया कि नियुक्तियां पुराने नियमों के अनुसार नहीं की जानी चाहिए।

34.1 राजस्थान राज्य खेल परिषद बनाम। इसमें प्रतिवादी उमा दधीच को राजस्थान राज्य खेल के तहत नियुक्त किया गया था।

20.03.1986 पर कोच ग्रेड-III के पदों पर परिषद। उन्हें 1990 में कोच ग्रेड-II और 1997 में कोच ग्रेड-I के रूप में पदोन्नत किया गया था। कोच ग्रेड I के संवर्ग से खेल अधिकारी के पद पर पदोन्नति को प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वर्ष 2003-2004 में पद खाली हो गए थे, जिसके लिए 2006 के नियमों ने योग्यता को केवल वरिष्ठता से वरिष्ठता-सह-योग्यता में बदल दिया था। अपील की अनुमति देते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

" 5. प्रस्तुतिकरण में योग्यता है जिस पर आग्रह किया गया है अपीलार्थियों की ओर से कि प्रत्यर्थी के पास कोई निहित नहीं था

पदोन्नति का अधिकार लेकिन केवल विचार किए जाने का अधिकार

उन नियमों के अनुसार जो उस तारीख को मौजूद थे जब पदोन्नति का मामला उठाया गया था। इस न्यायालय के कई फैसलों में इस सिद्धांत को दोहराया गया है। (एच. एस. ग्रेवाल बनाम देखें। भारत संघ [एच. एस. ग्रेवाल बनाम। भारत संघ, (1997) 11 एस. सी. सी. 758], दीपक अग्रवाल बनाम। यू. पी. राज्य [दीपक अग्रवाल

वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 725], त्रिपुरा राज्य बनाम। निखिल

रंजन चक्रवर्ती [त्रिपुरा राज्य बनाम। निखिल रंजन

चक्रवर्ती, (2017) 3 एस. सी. सी. 646] और भारत संघ बनाम। कृष्ण कुमार [भारत संघ बनाम। कृष्ण कुमार, (2019) 4 एस. सी. सी. 319)।
6. वाई. वी. रंगैया बनाम में निर्णय। जे. श्रीनिवास राओडेल्ट एक ऐसी स्थिति के साथ जहां नियमों की आवश्यकता थी कि प्रचार

अभ्यास संबंधित वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। रंगैया मामला [Y.V.Rangaiah v. जे. श्रीनिवास राव, (1983) 3 एस. सी. सी. 284], को इसलिए ऊपर उल्लिखित निर्णयों में प्रतिष्ठित किया गया है।

7. राजस्थान राज्य खेल परिषद सेवा नियम, 2006 का नियम 9 (4), जिस पर अपीलार्थी की ओर से निर्भरता रखी गई है, यह इंगित नहीं करता है कि रिक्तियों को नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिए क्योंकि वे उस वर्ष प्रचलित हैं जिसमें वे हुए हैं। नियम 9 (4) निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 9. (4) नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों का निर्धारण करेगा।

56 राजस्थान राज्य खेल परिषद बनाम। उमा दधीच (2019) 4 एस. सी. सी. 316।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार और ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

यदि ऐसी रिक्तियों को निर्धारित और भरा नहीं गया था, तो पहले के वर्षों, वर्षवार जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था

वर्ष की शुरुआत में जिसमें उन्हें भरा जाना आवश्यक था

में "।

34.2 न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों पर विचार किया कि

रंगैया के मामले को प्रतिष्ठित किया और सिद्धांत के रूप में माना कि जो नियम उस तारीख को मौजूद हैं जब पदोन्नति का मामला लिया गया था, वह मैदान में रहेगा। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो विशेष रूप से संशोधन से पहले रिक्तियों को अनिवार्य करता है

इसे मौजूदा नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए न कि नए नियमों के अनुसार। यह निर्धारित किए गए सिद्धांत का पूरी तरह से उलट है रंगैया का मामला।

35. अंत में, डी. रघु बनाम का मामला। आर. बसवेश्वरुडु ", एक और निर्णय है जिसने रंगैया के मामले में सिद्धांत का पालन नहीं किया है।

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 129.8 . उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि उसे

अनिवार्य रूप से यह अभिनिर्धारित किया जाए कि रिक्तियां जो पहले उत्पन्न हुई थीं संशोधित भर्ती नियम लागू होने चाहिए

तत्कालीन मौजूदा नियमों (1979 के नियमों) के तहत भरा गया

रंगैया सहित कानून के मामले में। वहाँ एक चेतना थी

के आधार पर रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय लिया गया

पुनर्गठन, और क्या अधिक है, दिनांकित पत्र 28-10-2002 और

14-11-2002 दिखाएँ कि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति थी

नए भर्ती नियमों के आधार पर लागू किया जाएगा।

विश्लेषणः

36. रंगैया को अलग करने वाले पंद्रह मामलों की समीक्षा से पता चलता है कि यह न्यायालय लगातार अलग-अलग मामलों को तैयार कर रहा है।

रंगैया में तैयार किए गए व्यापक प्रस्ताव के अपवाद। इन निर्णयों के निष्कर्ष, जिनका रंगैया द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर सीधा असर पड़ता है, निम्नानुसार हैंः

1 .

सार्वभौमिक आवेदन का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को होना चाहिए

आवश्यक रूप से उस कानून के आधार पर भरा जाए जो मौजूद था

जिस तारीख को वे उभरे, उस तारीख को रंगैया के मामले को उसमें शामिल नियमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। 58

2 .

यह अब कानून का एक तय प्रस्ताव है कि एक उम्मीदवार के पास है विद्यमान नियमों के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार, जो

57 डी. रघु बनाम। आर. बसवेश्वरुडु, (2020) 18 एससीसी 1.

58 दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 6 एस. सी. सी. 725, पैरा 26; भारत संघ बनाम। कृष्ण कुमार, (2019) 4 एससीसी 319, पैरा 10।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसका तात्पर्य "लागू नियम" से है क्योंकि जिस तारीख को विचार किया जाता है। पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार होता है

पात्र उम्मीदवारों के विचार की तिथि 5 9.

3 .

इससे पहले उत्पन्न रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय नियमों में संशोधन। कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं है।

सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को देखते हुए निरस्त नियमों के अनुसार। 60 इकाई के कुशल संचालन के लिए संवर्ग के पुनर्गठन की स्थिति में पुराने नियमों के अनुसार नियुक्तियां करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं है। 661 एकमात्र आवश्यकता यह है कि सरकार के नीतिगत निर्णय निष्पक्ष और उचित होने चाहिए और इन शर्तों के आधार पर उचित होने चाहिएः

लेख 14.62

रंगैया के सिद्धांत को केवल लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

4 .

क्योंकि पद बनाए गए थे, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है

पदों को तुरंत भरने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति। 63.

5 .

जब राज्य पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है - संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियों पर नियुक्तियों पर विचार करें, राज्य को इस पर विचार करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है

मामले। 64

37.1 पंद्रह निर्णयों में की गई उपरोक्त टिप्पणियाँ

जिन बातों ने रंगैया के मामले को अलग किया है, वे दर्शाते हैं कि उसमें प्रतिपादित व्यापक सिद्धांत काफी हद तक कम है। रंगैया को अलग करने वाले लगभग सभी निर्णयों का मानना है कि इस प्रभाव के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से होना चाहिए

कानून के आधार पर भरा गया जो उस तारीख को मौजूद था जब वे उत्पन्न हुए थे। इसका तात्पर्य केवल यह है कि रंगैया में निर्णय उसके तथ्यों तक ही सीमित है।

मामला। 59 दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 6 एस. सी. सी. 725, पैरा 26; भारत संघ बनाम। कृष्ण कुमार, (2019) 4 एससीसी 319, पैरा 10।

अग्रवाल, (2007) 10 एससीसी 402, पैरा 38; दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 6 एस. सी. सी. 725, पैरा 28। 661 जी. वेंकटेश्वर राव बनाम भारत संघ, (1999) 8 एस. सी. सी. 455, पैरा 4। 62 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम चरण राम, (1998) 4 एस. सी. सी. 202, पैरा 15; के. रामुलु बनाम। सूर्यप्रकाश राव (1997) 3 एस. सी. सी. 59, पैरा 15।

63 63 दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय (2001) 5 एस. सी. सी. 145, पैरा 5। 64 दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 6 एस. सी. सी. 725, पैरा 25।

हिमाचल प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. वी. राज कुमार

& ओआरएस। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

37.2 दीपक अग्रवाल (ऊपर) में निर्णय पूर्ण है।

रंगैया के सिद्धांत से हटकर, जितना न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियम के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है। यह वह नियम है जो विचार किए जाने की तारीख से लागू होता है। भारत संघ बनाम सहित कई बाद के निर्णयों में इस उच्चारण का पालन किया जाता है। कृष्ण कुमार (ऊपर)। वास्तव में, कृष्ण कुमार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल "पदोन्नति के लिए विचार किए जाने की तारीख को प्रचलित नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।"

37.3 इन पंद्रह निर्णयों में सुसंगत निष्कर्ष कि रंगैया के मामले को उसके अपने तथ्यों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उन घोषणाओं के साथ कि इस प्रभाव के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उन नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उन तारीख को मौजूद थे जो वे उत्पन्न हुए थे, हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करता है कि रंगैया में निर्णय निहित रूप से खारिज कर दिया गया है। हालाँकि, चूंकि इस प्रभाव के लिए कोई कानून की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इसे एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया जाता है और यह न्यायालय इसे किसी आधार पर अलग करता रहा है या

दूसरा, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर संकेत दिया है। स्पष्टता और निश्चितता के लिए, इसलिए, हमारे लिए इसे बनाए रखना आवश्यक है;

(क) वाई. वी. रंगैया बनाम में कथन। जे. श्रीनिवास राव ने कहा कि "संशोधित नियमों से पहले जो रिक्तियां थीं, वे पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी न कि संशोधित नियमों द्वारा", संविधान के भाग XIV के तहत संघ और राज्यों के तहत सेवाओं को नियंत्रित करने वाले कानून के सही प्रस्ताव को प्रतिबिंबित नहीं करता है। एतद्वारा इसे खारिज कर दिया जाता है।

(ख) संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों से प्राप्त किए जाने हैं।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर सिद्धांत का अनुप्रयोगः

38.1 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, हमने देखा है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि रिक्तियां 25.11.2006 पर नियमों के संशोधन से पहले होने वाली घटना को 1966 के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के निर्णय ने श्रम अधिकारियों के 7 नए पदों को भी अपने दायरे में ले लिया, जिन्हें एक अंतर-विभागीय पत्र दिनांक 1 द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आवंटित 3 पद भी शामिल थे। प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आवंटित 3 पदों को भी शामिल करने का उच्च न्यायालय का निर्देश इस आधार पर था कि पदों को 20.07.2006 पर स्वीकृत किया गया था, जो 25.11.2006 पर नियमों के संशोधन से पहले है।

38.2 हम पहले ही मान चुके हैं कि सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के बाहर किसी कर्मचारी का कोई अधिकार नहीं है। हमने भी अनुसरण किया है और

भारत संघ बनाम में संविधान पीठ के निर्णयों को लागू किया। तुलसीराम पटेल (ऊपर) और विशेष रूप से रोशन लाल टंडन बनाम में निर्णय। भारत संघ (ऊपर दिया गया है) कि राज्य के तहत सेवाएं एक स्थिति की प्रकृति में हैं, जिसकी एक विशेषता है कि राज्य को सार्वजनिक हित को कम करने के लिए नियमों में एकतरफा बदलाव करने की आवश्यकता है। उत्तरदाताओं की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले 2006 के नियम उन्हें अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद लागू हो गए। उक्त नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे 1966 के नियमों के अनुसार उत्तरदाताओं पर विचार किया जा सके। मामला यहीं खत्म होना चाहिए। ऐसा कोई अन्य अधिकार नहीं है जो उत्तरदाताओं को नहीं है। 1 3 तक ऐसे विचार के लिए दावा कर सकते हैं।

39.1 अतिरिक्त पदों का सृजन करके संवर्ग के पुनर्गठन के अपने नीतिगत निर्णय के आधार पर सरकार की वैकल्पिक याचिका और

संशोधन से पहले उत्पन्न रिक्तियों को नहीं भरने के औचित्य के रूप में नियमों में संशोधन करके सीधी भर्ती का प्रावधान इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों द्वारा पूरी तरह से समर्थित है। 65

39.2 अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि श्रम अधिकारियों के अतिरिक्त पद 20.07.2006 पर बनाए जाते हैं और उसके तुरंत बाद

12 श्रम क्षेत्र बनाए गए। इसके बाद 25.11.2006 संवर्ग के पुनर्गठन से नियमों में संशोधन किया जाता है। तथ्य राज्य द्वारा की गई वैकल्पिक प्रस्तुति को पूरी तरह से उचित ठहराते हैं और हमें उक्त प्रस्तुति को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। 40. ऊपर बताए गए इन कारणों से हम 2008 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 3028 दिनांक 28.12.2009 में उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं और अनुमति देते हैं

सिविल अपील सं. 9746 और 2011 की सिविल अपील सं. 9747। लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन

(तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)

65 के. रामुलु बनाम एस. सूर्यप्रकाश राव, (1997) 3 एससीसी 59; राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम। चानन राम, (1998) 4 एस. सी. सी. 202; जी. वेंकटेश्वर राव बनाम। भारत संघ, (1999) 8 एस. सी. सी. 455; श्यामा चरण दास बनाम। उड़ीसा राज्य (2003) 4 एस. सी. सी. 218; पंजाब राज्य बनाम। अरुण कुमार अग्रवाल (2007) 10 एस. सी. सी. 402; दीपक अग्रवाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 725; त्रिपुरा राज्य बनाम। निखिल रंजन चक्रवर्ती, (2017) 3 एस.

सी. सी. 646; भारत संघ बनाम। कृष्ण कुमार (2019) 4 एस. सी. सी. 319; उड़ीसा राज्य बनाम धीरेंद्र सुंदर दास (2019) 6 एस. सी. सी. 270; राजस्थान राज्य खेल परिषद बनाम। उमा दधीच, (2019) 4 एससीसी 316।